आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

सितम्बर 2024

क्रान्ति

मासिक

सहयोग राशि
30/-₹

नैतिकता
स्वतन्त्रता का मूल आधार

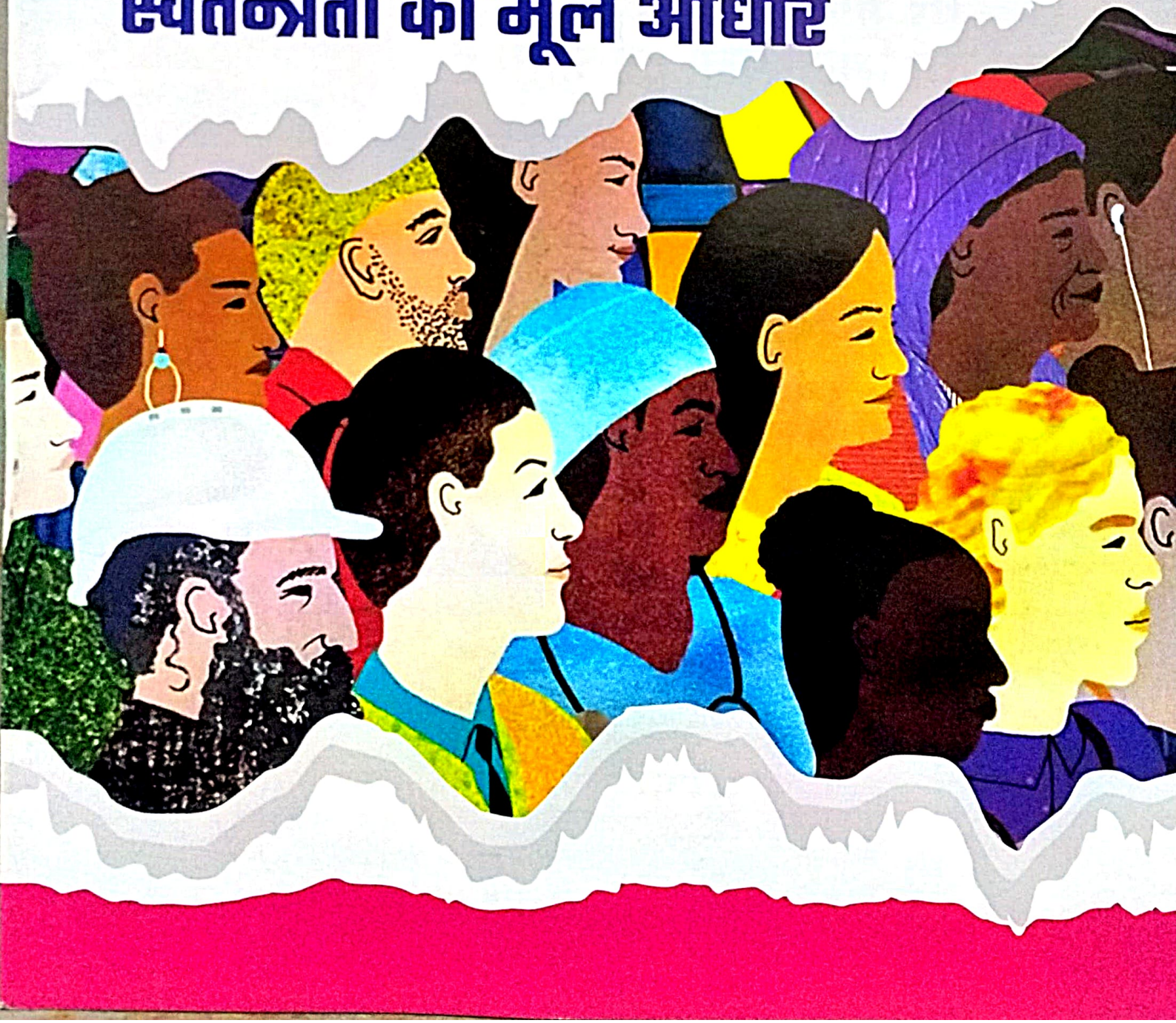

जब इन्सान
मर जाता है तो उसके
कर्मों का सिलसिला टूट जाता है।
अलबत्ता तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इससे
अलग हैं—जारी रहने वाला सदक़ा या
ज्ञान जिससे फ़ायदा उठाया जाए,
या नेक सन्तान जो उसके
लिए दुआ करे।

(हदीस : मुस्लिम)

with best compliment from

Darsgah Islami Kansir
Sawai Madhopur [Raj.]

Website Link :
www.kantimasik.com

संपादक
शिब्ली अरसलान
abuaniqa@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि

एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
दो वर्ष 670/- रु॰ तीन वर्ष 950/- रु॰
चार वर्ष 1200/- रु॰ पांच वर्ष 1400/- रु॰
आजीवन रु॰ 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
9818799223

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं
ASILA OFFSET PRINTERS
1299, KALAN MAHAL,
NEW DELHI-110002

संपादक : शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 34 अंक 03 सितम्बर 2024

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

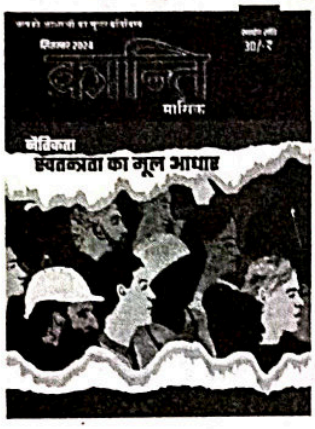

कान्ति
मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
स्वतंत्रता, नैतिक चेतना और धर्म
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
धर्म, समाज और विज्ञान
डॉ. मुहम्मद रिज़वान

सौंदर्य बोध 11
''गया वक़्त फिर हाथ आता नहीं!''
अदनान यूसुफ़

मुख्य स्तंभ 13
नैतिकता : स्वतन्त्रता का मूल आधार
आरिफ़ा ख़ातून

प्रकाश स्तंभ 17
नैतिक चेतना और भौतिकवादी दृष्टिकोण
मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां

समाधान 21
मनुष्य एक नैतिक अस्तित्व
संपादन प्रभाग

कविता 24
सहारा
श्रावणी सक्सेना

विशेष आयोजन 25
सांप्रदायिक विभाजन को संस्थागत बनाने का कुत्सित प्रयास
सुफ़ियान अहमद

अभिमत 29
खानपान के आधार पर देश को बांटने की कोशिश
राजदीप सरदेसाई

मंथन 33
सामाजिक सुरक्षा के सवाल पर चुप्पी क्यों ?
डॉ. प्रदीप कुमार

पर्यावरण 36
असंतुलन की बारिश में डूबती पर्यावरण की नांव
जितेंद्र गौतम

दृष्टिकोण 38
गुज़ारे और गरिमा का प्रश्न
समी अहमद

विचारणीय 41
क्यों...जवाब है ?
कल्पेश रावल

सेहत 42
इस दर्द से रहें दूर
संपादन प्रभाग

कहानी 44
कंजिया
नरेश कौशिक

आख़िरी पन्ना 49
धर्म की समझ-ईश्वर का सर्वोत्तम पुरस्कार
गुलज़ार सहराई

मूल प्रश्न



शिब्ली अरसलान

स्वतंत्रता, नैतिक चेतना और धर्म

मनुष्य के अंदर पायी जाने वाली भावनाओं में स्वतंत्रता की भावना एक स्वभाविक भावना है। यदि हमें रहने के लिए शान्दार कोठी, खाने के लिए उम्दा व स्वादिष्ट भोजन और पहनने के लिए बेहतरीन एवं महंगे कपड़े उपलब्ध हों परंतु खुलकर अपने विचार अभिव्यक्त करने, घूमने-फिरने और दोस्ती व रिश्ते स्थापित करने की आज़ादी ना हो तो हम कदापि ऐसे जीवन की कामना नहीं करेंगे। रहने-सहने, खाने-पीने और पहनने-ओढ़ने की सुविधा और आराम बेकार है अगर आज़ादी मयस्सर न हो।



स्वतंत्रता की ये भावना वास्तव में ईश्वर प्रदत्त नैसर्गिक नैतिक चेतना का ही एक पहलू और मूल्य है। मानवीय नैतिक चेतना या नैतिकता ऐसी सार्वभौमिक सर्वमान्य वास्तविकता है, जो सदैव से सभी जानते एवं स्वीकारते चले आ रहे हैं। कभी भी ज़ुल्म व जब्र, अत्याचार, क्रूरता एवं किसी भी प्रकार की इंसानी ग़ुलामी व पराधीनता को अच्छा और पसंदीदा नहीं कहा गया। हमेशा हर युग में मानव सामूहिक चेतना ने न्याय, समानता, उदारता एवं स्वतंत्रता को प्रशंसनीय मूल्य क़रार दिया है। यह भावना व्यक्तिगत रूप से लोगों में भले ही कम या ज़्यादाः हो किन्तु सामूहिक रूप से सदैव मानव-चेतना ने नैतिकता के कुछ मूल्यों को अच्छाई और कुछ को बुराई की संज्ञा दी है। जैसे कि झूठ, बेईमानी, चोरी, चुग़लख़ोरी आदि को कभी किसी दौर में भी 'पुण्य' नहीं ठहराया गया और सत्य, दया, दानशीलता, सहयोग एवं सहकारिता की सदैव प्रशंसा की गयी है। इसलिए स्वतंत्रता वास्तव में एक नैतिक मूल्य है, जैसे कि प्रेम-भाव और सत्य-वचन नैतिक मूल्य हैं। अतः स्वतंत्रता की ये भावना स्वच्छंद, दिशाहीन और अराजक नहीं हो सकती। वो दूसरे नैतिक मूल्यों से संबद्ध होगी। यहीं से पश्चिम में "सकारात्मक स्वतंत्रता" और "नकारात्मक स्वतंत्रता" की अवधारणा सामने आती है। भला दूसरों के हितों और सामाजिक व्यवस्था को नकार कर "मेरा जिस्म, मेरी मर्ज़ी" टाइप नारों को स्वतंत्रता की संज्ञा कैसे दी जा सकती है। ये तो आवारगी और अराजकता है।

हमारे जीवन में 'प्राईवेट एरिया' और 'व्यक्तिगत दायिरा' बहुत कम है। अपने कमरे से बाहर निकलते ही हम सामूहिक जीवन में दाख़िल हो जाते हैं, जहां हमें परिवार के दूसरे लोगों

से लेकर समाज तक का ख़याल करना होता है। ये 'ख़याल' ही वास्तव में नैतिकता और मानव गरिमा (Human dignity) है। बेख़याली और ग़फ़्लत हमें अराजक बनाती है। धर्म विशेष तौर पर इस्लाम 'सर्वशक्तिमान ईश्वर' पर विश्वास जगा कर, 'बेख़याली' और ग़फ़्लत से निजात दिलाकर मानव नैतिकता को मज़बूत आधार प्रदान करता है। ईश्वर को माने बिना मानवीय नैतिक चेतना टिकाऊ, प्रबल और सही दिशा में अग्रसर नहीं हो सकती। नैतिकता की ईश्वरीय अवधारणा की तीन विशेषताएं उल्लेखनीय हैं।

पहली विशेषता यह है कि वह ईश्वर की प्रसन्नता को लक्ष्य बनाकर नैतिकता के लिए एक ऐसा उच्च मानदंड प्रस्तुत करता है, जिसके कारण नैतिक उत्थान की कोई अंतिम सीमा नहीं रहती। ज्ञान के स्रोत (ईश्वरीय वाणी और पैग़म्बर) का निर्धारण करके नैतिकता को ऐसा स्थायित्व प्रदान करता है कि जिससे मानव उन्नति की असीम यात्रा शुरू हो जाती है। नैतिक मूल्यों को लागू करने के लिए वह ईश-भय पर बल देता है जो बाहरी दबाव के बग़ैर भी इन्सान से उसकी पाबन्दी कराता है। ईश्वर और परलोक पर विश्वास वह प्रेरक शक्ति है जो इन्सान के अंदर ख़ुद-ब-ख़ुद नैतिक नियमों का अनुसरण करने की चाहत और स्वीकृति पैदा करता है।

स्वतंत्रता की ये भावना वास्तव में ईश्वर प्रदत्त नैसर्गिक नैतिक चेतना का ही एक पहलू और मूल्य है। मानवीय नैतिक चेतना या नैतिकता ऐसी सार्वभौमिक सर्वमान्य वास्तविकता है, जो सदैव से सभी जानते एवं स्वीकारते चले आ रहे हैं। कभी भी ज़ुल्म व जब्र, अत्याचार, क्रूरता एवं किसी भी प्रकार की इंसानी गुलामी व पराधीनता को अच्छा और पसंदीदा नहीं कहा गया। हमेशा हर युग में मानव सामूहिक चेतना ने न्याय, समानता, उदारता एवं स्वतंत्रता को प्रशंसनीय मूल्य क़रार दिया है। यह भावना व्यक्तिगत रूप से लोगों में भले ही कम या ज़्यादा: हो किन्तु सामूहिक रूप से सदैव मानव-चेतना ने नैतिकता के कुछ मूल्यों को अच्छाई और कुछ को बुराई की संज्ञा दी है।

दूसरी विशेषता यह है कि ईश्वरीय अवधारणा निराली नैतिकता प्रस्तुत नहीं करती और न मानव के प्रमुख नैतिक सिद्धांतों में से कुछ को घटाने-बढ़ाने का प्रयास करती है। वह उन्हीं नैतिक उसूलों को लेती है जो जाने-पहचाने हैं और उनमें से कुछ को नहीं बल्कि सबको लेती है। फिर जीवन में पूर्ण संतुलन के साथ प्रत्येक की स्थिति, स्थान और उपयोग तय करती है और उन्हें इतने व्यापक रूप से लागू करती है कि व्यक्तिगत आचरण, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीति, कारोबार, बाज़ार, शिक्षण संस्था, न्यायालय, पुलिस लाइन, छावनी, रणभूमि अर्थात जीवन का कोई भाग नैतिकता के व्यापक प्रभाव-क्षेत्र से बच नहीं पाता। हर जगह और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह नैतिकता को शासक के तौर पर पेश करती है और उसका प्रयास यह है कि जीवन के मामलों की लगाम इच्छाओं, स्वार्थों और परिस्थितियों के बजाय नैतिकता के हाथ में हो।

तीसरी विशेषता यह है कि वह इंसानियत से एक ऐसी जीवन-व्यवस्था की मांग करता है जो अच्छाई पर आधारित हो और बुराई से पाक हो। उसका आह्वान यही है कि जिन भलाइयों को मानवता के स्वभाव ने सदा भला जाना है आओ उन्हें स्थापित करें और फैलाएं तथा जिन बुराइयों को मानवता सदा बुरा समझती रही है, आओ, उन्हें दबाएं और मिटाएं । इस आह्वान को जिन्होंने स्वीकार किया उन्हें इकट्ठा करके इस्लाम ने एक उम्मत (समुदाय) बनाई जिसका नाम मुस्लिम (ईश्वर का वफ़ादार) था, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि वह 'भलाई' को जारी करे और 'बुराई' को दबाने और मिटाने के लिए संगठित प्रयास करे। अच्छाई और बुराई कोई ढकी-छिपी चीज़ें नहीं हैं कि उन्हें कहीं से ढूंढ़कर निकालने की आवश्यकता हो। वे तो मानवता की चिरपरिचित चीज़ें हैं जिनकी चेतना मानव की प्रकृति में समाहित कर दी गई है। यही कारण है कि क़ुरआन अपनी भाषा में नेकी और भलाई को 'मारूफ़' (जानी-पहचानी हुई चीज़) और बुराई को 'मुनकर' (मानव की प्रकृति जिसका इन्कार करे) के शब्दों से वर्णित करता है।

"मानवीय आत्मा को ईश्वर ने भलाई और बुराई का ज्ञान अंतः प्रेरणा के रूप में प्रदान कर दिया है।"

(क़ुरआन, 91:8)

"तुममें सबसे
अधिक मुझे वे लोग
प्रिय हैं जो तुममें नैतिकता की दृष्टि
से सबसे अच्छे हैं।"
(हदीस-बुख़ारी)

A Well Wisher
Md. Mumtaz Sb.
Ballia (UP)

धर्म, समाज और विज्ञान



चिंतन



डॉ. मुहम्मद रिज़वान

विज्ञान, धर्म और समाज के त्रिकोण में विज्ञान से आगे बढ़कर जब विज्ञानवाद (scientism) ने मानव जीवन की अवधारणा की रचना और संकलन में अपनी भूमिका अदा करना शुरू किया तो अंतिम सत्य और ज्ञान के साधन दोनों इंद्रियों के दायरे में क़ैद हो गए, और इस प्रकार मानव चेतना प्रकाशना (वह्य) और ईश्वरीय ज्ञान के असीम लाभों से वंचित हो गई।

आधुनिक मानव सभ्यता के लिए विज्ञान और विज्ञानवाद के बीच के अंतर को अच्छी तरह से समझ लेना ज़रूरी है क्योंकि आधुनिक मानव सभ्यता विज्ञान के बिना अधूरी है, लेकिन विज्ञानवाद के साथ इस सभ्यता के ख़त्म होने की आशंकाएं हैं। विज्ञान से आगे बढ़कर विज्ञानवाद ने जनमानस में अपना स्थान बना लिया है, जिसके दूरगामी प्रभाव अब महसूस किए जाने लगे हैं। और भविष्य में ये प्रभाव और भी गंभीर होते जाएंगे।

हमारे निकट निम्नलिखित चार क्षेत्रों में विज्ञानवाद के स्पष्ट और निर्विवाद प्रभावों को महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो विज्ञानवाद के तहत बयान किया जा सकता है, लेकिन वह ऐसा मामला है जिस पर लोगों के विचार अलग-अलग हैं।

विज्ञान और उस पर आधारित तकनीक, बुद्धि को अचंभित कर देने वाले इसके आविष्कार और ब्रह्मांड के बारे में इसी पद्धति का उपयोग करके इसमें छिपे हज़ारों रहस्यों से पर्दा उठाने की इसकी क्षमता इस बात का प्रमाण है कि यह एक असाधारण प्रयास (enterprise) है।

1. ज्ञान और उसकी प्राप्ति में सर्वाधिकारवाद (totalitarianism)

जैसा कि बयान किया जा चुका, विज्ञानवाद अपने मूल में (चाहे हम किसी भी दृष्टिकोण से इसका अवलोकन करें), दरअस्ल यह धारणा है कि ज्ञान का एकमात्र साधन वैज्ञानिक पद्धति है। इसके अलावा जितने भी ज्ञान के साधन हो सकते हैं वे या तो अप्रचलित (obsolete) हैं या अवास्तविक और अविश्वसनीय हैं। अर्थात विज्ञानवाद ज्ञान और उसकी प्राप्ति में एक प्रकार के सर्वाधिकारवाद का झंडावाहक है। इसलिए ज्ञान की प्रत्येक विधि जो प्रचलित भौतिक विज्ञान की कार्य पद्धतियों (methodology) पर पूरी नहीं उतरती, वह ज्ञान का साधन नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए- प्रकाशना, अंतर्ज्ञान, कुछ अवलोकनों, सामाजिक रवैयों का औचित्य, नैतिक मूल्य और उनके निष्कर्षण की विधि आदि।

पाठक इस भ्रम के शिकार न हों कि यहां इस बिंदु पर बहस की जा रही है कि विज्ञान और विज्ञानवाद किस तरह एक अधिनायकवादी शासन में समाज के साथ अंतःक्रिया करता है।[1] नहीं बल्कि

(1) Paul R Joseph sons in Totalitarian Science and Technology (2005), Second edition Humanity Books, New York

यहां इस इस बात की चर्चा हो रही है कि अपने कुछ रूपों में बज़ाहिर हानिरहित नज़र आने वाले विज्ञानवाद ने ज्ञान के हर साधन और विधि को ग़लत ठहराया और इस तरह ज्ञान और ज्ञान के साधन, ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति की विधि सब एक प्रकार के वैज्ञानिक ढांचे में क़ैद हो गए। यह वैज्ञानिक ढांचा कई प्रकार से त्रुटिपूर्ण था और है। उदाहरण के लिए अनुमान या परिकल्पना (hypothesis) जो भौतिक विज्ञान में ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढ़ी है, वह कम से कम दो कोणों से सापेक्षिक है और इसमें त्रुटि की आशंका है। वह दो कोण निम्नलिखित हैं–

1. वैज्ञानिक की कल्पना की उड़ान जो कि असाधारण से साधारण की सहत तक हो सकती है।

2. एक वैज्ञानिक के अवलोकन शक्ति और समझ-बूझ की अपनी मानवीय सीमाएं हैं।

इसी तरह अनुमान या परिकल्पना वैज्ञानिक के सामाजिक-राजनीतिक, नैतिक और अन्य संदर्भों में (context) जन्म लेती है। अर्थात् वह एक विशेष समय और स्थान के ढांचे में बंद होता है और इस प्रकार किसी परिकल्पना और इसकी स्थापना में ही असाधारण भिन्नता हो सकती है और होती है। वैज्ञानिकों के हवाले से उपरोक्त बिन्दुओं के कारण परिकल्पना में हर प्रकार की ख़ामियां उत्पन्न हो सकती हैं और होती हैं। कुछ विज्ञानों में दूसरा चरण परीक्षण का है।

परीक्षण के सिलसिले में भी कई कोणों से सापेक्षता (Relativity) आती है और ख़ामी पैदा होने की आशंका होती है। उदाहरण के लिए–

1. प्रयोग में मानकों और मात्राओं पर आधारित प्रणाली का निर्माण और उसमें हस्तक्षेप (intervention)।

2. शोध का परीक्षण से अलग न होना, बल्कि इस परीक्षण का हिस्सा होना।

3. परीक्षण के परिणामों पर समय और विशेष वातावरण का प्रभाव होना। (हालांकि इस पर क़ाबू पाने के लिए वैज्ञानिक प्रयोगों में जांच और संतुलन का उपयोग किया जाता है।)

इन तीनों के अलावा, परीक्षण उन हालात एवं संदर्भों में होते हैं जो स्थापित मान्यताओं के हालात एवं संदर्भों से दूर होते हैं। उदाहरण के लिए, बिग बैंग के बाद ज़मीनी हालात क्या रहे होंगे? पृथ्वी का तापमान क्या रहा होगा? किस प्रकार के तत्व रहे होंगे? रासायनिक वातावरण कैसा रहा होगा? यह सब धारणाएं अत्यधिक सापेक्षिक (Relative) हो जाती हैं, जिसकी वजह से सापेक्षता की संभावना बहुत बढ़ जाती है।

तीसरा चरण परिणामों की प्राप्ति और इन परिणामों के आधार पर अनुमान और निष्कर्ष निकालने की होती है। यहां पर भी–

1. परिणामों में धारणाओं के अनुसार इसके प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रुझान।

2. परिणामों को मूल्य-तटस्थ (value neutral) रखने के लिए



विज्ञान में ज्ञान प्राप्ति के लिए जो विधि अपनाई जाती है, उस विधि के प्रत्येक चरण में ग़लतियों की प्रबल संभावना मौजूद है। इसलिए ज्ञान की इस पद्धति को अंतिम सत्य मानना नादानी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह विधि निरर्थक है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि विज्ञानवाद ज्ञान प्राप्त करने की जिस पद्धति को आख़िरी कसौटी समझता है वह स्वयं सापेक्षिक है। संतुलित ढंग से अगर विज्ञानवाद के इस दावे को देखा जाए तो समझ में आ जाता है कि ज्ञान के अन्य साधन और ज्ञान पद्धतियों में जो दोष या कमियां नज़र आती हैं, एक या दो अपवादों को छोड़कर, कमोबेश यही बात वैज्ञानिक पद्धति पर भी लागू होती है।

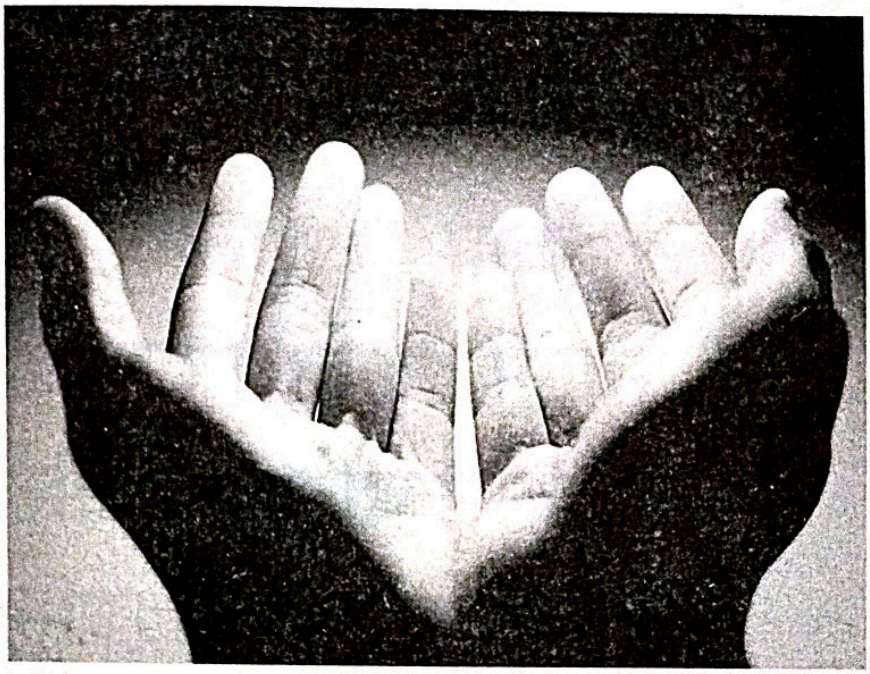

बनाए गए जांच और संतुलन में घुसपैठ।

अर्थात् भौतिक विज्ञान में ज्ञान प्राप्ति के लिए जो विधि अपनाई जाती है, उस विधि के प्रत्येक चरण में ग़लतियों की प्रबल संभावना मौजूद है। इसलिए ज्ञान की इस पद्धति को अंतिम सत्य मानना नादानी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह विधि निरर्थक है। इसका सीधा-सा मतलब यह है कि विज्ञानवाद ज्ञान प्राप्त करने की जिस पद्धति को आख़िरी कसौटी समझता है वह स्वयं सापेक्षिक है।

उपरोक्त बिन्दुओं का अर्थ यह नहीं है कि विज्ञान पूर्णतः अचूक हो जाता है या वैज्ञानिक पद्धति विल्कुल ही बेकार है, जैसा कि कुछ उग्र विद्वानों, विचारकों एवं शोधकर्ताओं का मानना है। बल्कि विज्ञान और उस पर आधारित तकनीक, बुद्धि को अचंभित कर देने वाले इसके आविष्कार और ब्रह्मांड के बारे में इसी पद्धति का उपयोग करके इसमें छिपे हज़ारों रहस्यों से पर्दा उठाने की इसकी क्षमता इस बात का प्रमाण है कि यह एक असाधारण प्रयास (enterprise) है।

लेकिन इनसे यह बात कहां साबित होती है कि वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त होने वाली बातें ही एकमात्र सच्चाई हैं? और इससे प्राप्त होने वाला ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है। और यह कि ज्ञान की इस पद्धति से प्राप्त होने वाली जानकारी मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त है। विशेष रूप से मार्गदर्शन जो अनुभूतियों के दायरे से परे जैसे विश्वास, नैतिकता, व्यवहार और ब्रह्मांड के बारे में हैं।

संतुलित ढंग से अगर विज्ञानवाद के इस दावे को देखा जाए तो समझ में आ जाता है कि ज्ञान के अन्य साधन और ज्ञान पद्धतियों में जो दोष या कमियां नज़र आती हैं, एक या दो अपवादों को छोड़कर, कमोबेश यही बात वैज्ञानिक पद्धति पर भी लागू होती है। किसी भी वैज्ञानिक पद्धति का यह गुण है कि वैज्ञानिक परिकल्पनाओं को परीक्षण की कसौटी पर परखा जा सकता सकता है। धार्मिक मान्यताओं को परीक्षण की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता, लेकिन बहरहाल उन्हें "Reason" तर्क और बुद्धि के हवाले से जांचा जा सकता है। ■■

कहो, "ऐ अल्लाह, राज्य के स्वामी ! तू जिसे चाहे राज्य दे और जिससे चाहे राज्य छीन ले, और जिसे चाहे इज़्ज़त (प्रभुत्व) प्रदान करे और जिसको चाहे अपमानित कर दे। तेरे ही हाथ में भलाई है। निस्संदेह तुझे हर चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है।"

(क़ुरआन, 3:26)

A Well Wisher

J.I.H.

Phoolpur (UP)



सौंदर्य बोध

अदनान यूसुफ़

"गया वक़्त फिर हाथ आता नहीं!"

यूं तो जब तक जीवन हैं तब तक हर ग़लत को कुछ सही कर देने का मौक़ा रहता हैं, लेकिन अच्छा नतीजा तो तभी मिल सकता हैं जब शुरु से सही किया गया हो। गया समय हाथ नहीं आता और गया जीवन भी, लेकिन जो समय भी अभी हैं, अगर उसमें भविष्य के इन नतीजो की समझ पैदा कर ली जाये तो शायद अभी भी नतीजों पर असर अंदाज़ होने का मौक़ा हैं।

40+की उम्र के बाद हमारे ग़लत फ़ैसले, बुरी आदतें, लापरवाहियां और ज़िन्दगी के प्रति ग़ैर संजीदा रवैया अपने फल देना शुरू कर देते हैं। इसका पहला चरण सेहत से जुड़ा होता है, दूसरा चरण कमोबेश 50 के बाद आता है, जो परिवार ख़ासकर औलाद से जुड़ा होता है, तीसरा 60 के बाद जब आर्थिक फ़ैसलों के फल आने लगते हैं और आख़िरी तक़रीबन 70 के बाद जो सामाजिक रवैयों के नतीजे दिखाना शुरू कर देता है। यह एक अनुमानित सीमाबंदी है, लेकिन कहने का मर्म यह है कि हमें अपने जीवन में लिये गये फ़ैसलों और रवैयों का फल इसी जीवन में मिलना शुरू हो जाता है।

40 से पहले भी हम बाल झड़ने की शिकायत कर रहे हो सकते हैं, लेकिन 40 के बाद गंज दिखाई देने लगता है,

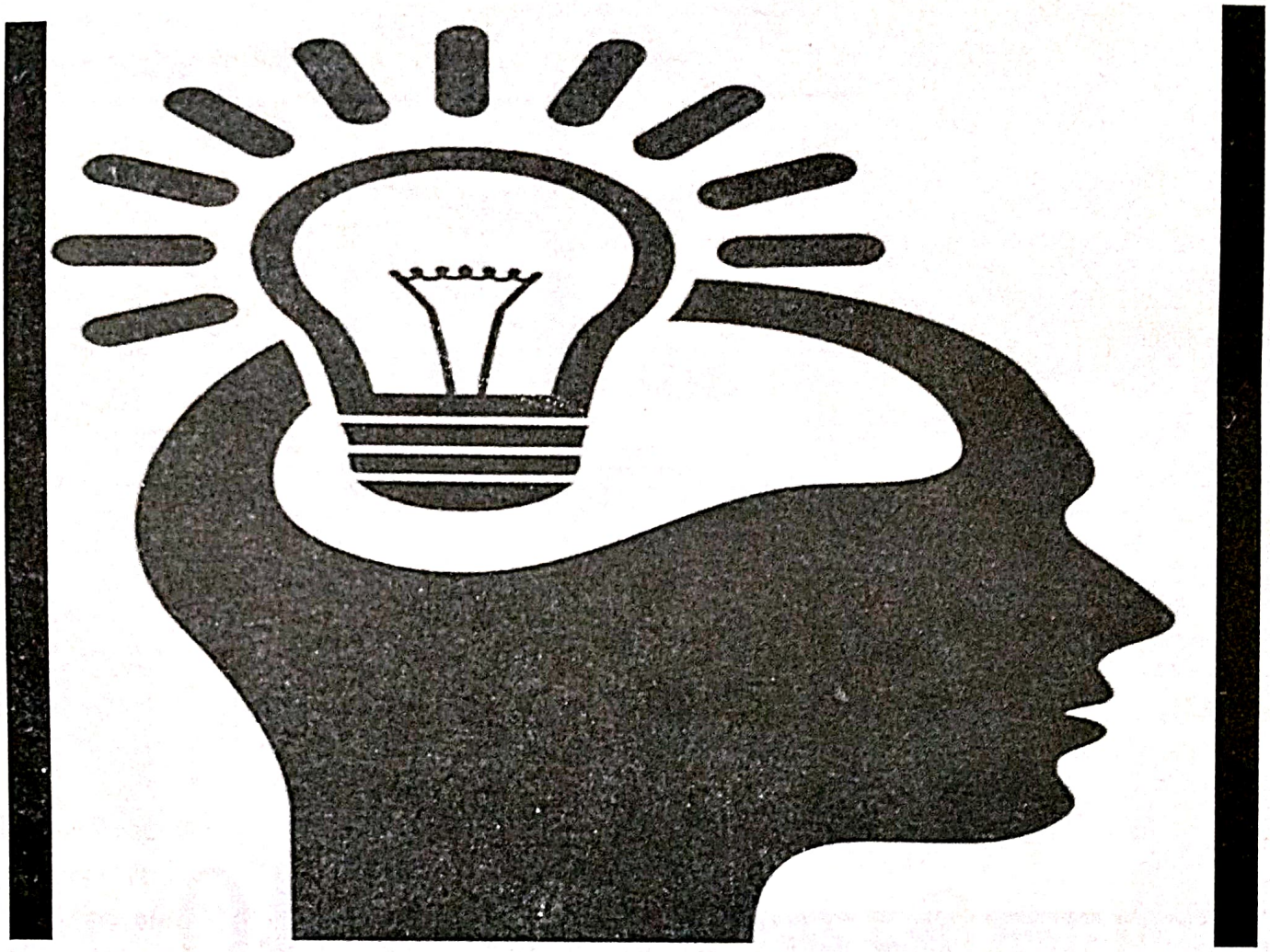

इसी के बाद ब्लड प्रेशर, शुगर आदि की समस्याएं सामने आने लगती हैं, आंखों पर चश्मा लगने की नौबत आती है, और कमर में दर्द शुरू हो जाता है।

50 से पहले भी औलाद के स्वर में तेज़ी, ग़ुस्सा, रिश्तों की दूरी, व उनका अपनी ज़िन्दगी को लेकर सीरियस न होना आदि का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन 50 के बाद औलाद का यह स्वभाव पक्का होता दिखना शुरू हो जाता है। इतना पक्का कि वह हमें दुख देना शुरू कर दे।

60 के बाद की आर्थिक परेशानियां उससे कहीं ज़्यादा बुरी व ख़तरनाक होती हैं, जिसका शिकवा हमने सारी जिंदगी किया होता है। अब हमें याद आता है कि हमने यह किया होता तो ऐसा हो जाता, वह किया होता तो वैसा हो जाता।

और 70 के बाद हमारी कुछ अकांक्षाएं अपने परिवार के बाहर समाज से भी होती हैं, जो पूरी होती नहीं दिखतीं और हम समाज को कोसने का काम तेज़ी से शुरू कर देते हैं।

इन सारे नतीजों से गुज़रते हुये हम सिर्फ़ पहले पड़ाव पर संजीदगी से कभी ख़ुद को ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन आगे के सारे दोष हम दूसरों पर मढ़ते चले जाते हैं, ताकि ख़ुद को अपने सामने शर्मिंदा न करना पड़े। क़ुरआन कहता है ''वलौ अलक़ा मआज़ीरह'' (No matter what excuses you present now) क्योंकि अस्ल समस्या यह नहीं कि परिणामों का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, अस्ल समस्या तो यह है कि यह परिणाम तो सिर्फ़ हमें और हमें ही भुगतने होते हैं।

यूं तो जब तक जीवन है तब तक हर ग़लत को कुछ सही कर देने का मौक़ा रहता है, लेकिन अच्छा नतीजा तो तभी मिल सकता है जब शुरू से सही किया गया हो। गया समय हाथ नहीं आता और गया जीवन भी, लेकिन जो समय भी अभी है, अगर उसमें भविष्य के इन नतीजो की समझ पैदा कर ली जाये तो शायद अभी भी नतीजों पर असर अंदाज़ होने का मौक़ा है। अपनी सेहत, अपनी औलाद की तरबियत, अपनी फ़ज़ूल ख़र्चियों, आलस और समाज को गंदा करने या उससे कटे रहने की आदतों पर कुछ मेहनत कर ली जाए, तो उम्मीद है कि कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलें। और हां एक नतीजा ज़िन्दगी के बाद का भी है, उस पर फिर कभी .....। ■■

नैतिकता स्वतन्त्रता का मूल आधार

नैतिकता स्वतंत्रता का आधार इसलिए है, क्योंकि यह हमें अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में सिखाती है। नैतिकता के बिना, स्वतंत्रता अराजकता में बदल सकती है। हमें अपने विचारों और कार्यों में नैतिकता का पालन करना चाहिए, ताकि हम स्वतंत्रता का सही अर्थ समझ सकें और इसका सम्मान कर सकें।

स्वतंत्रता एक ऐसा नैसर्गिक अधिकार है जो हम सभी को एक साथ लाता है। यह जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र, विचारधारा और लिंग के भेदभाव से परे है। स्वतंत्रता हम सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है, और हमें इसे हासिल करने के लिए एक साथ मिलकर प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और पूर्ण विकास और प्रगति हासिल करने के लिए एक मुक्त वातावरण आवश्यक है। जब लोग भय, पूर्वाग्रहों और बाधाओं से मुक्त होते हैं, तो वे स्वयं का चौमुखी विकास कर सकते हैं।

मुख्य स्तम्भ



आरिफ़ा ख़ातून

एक ओर स्वतंत्र वातावरण प्रदान करके, हम लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए सशक्त बना सकते हैं, जिससे एक अधिक जीवंत, विविध और समृद्ध समाज बन सकेगा, तो दूसरी ओर नैतिक मूल्य हमारे विचारों और कार्यों को निर्देशित करने वाले सिद्धांत और मूल्य हैं जो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या ग़लत है।

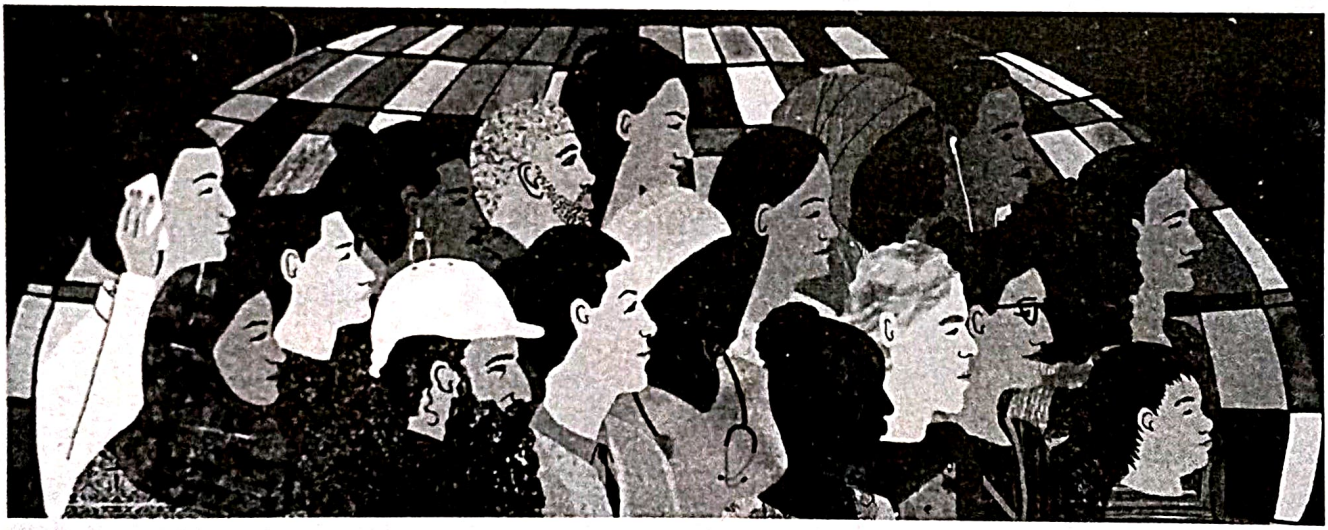

नैतिकता हमें सिखाती है कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करें ताकि हम दूसरों के साथ प्यार और करुणा से पेश आएं और समाज के लिए अच्छा काम करें। स्वतंत्रता हमें अपने जीवन को अपने तरीक़े से जीने का अवसर देती है, लेकिन नैतिकता हमें सिखाती है कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करें ताकि हम अपने और दूसरों के लिए अच्छा काम करें।

हालांकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन सभी प्रतिबंधों से पूर्ण स्वतंत्रता संभव या वांछनीय नहीं है। कुछ सीमाएं आवश्यक हैं। असीमित स्वतंत्रता के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिसका प्रभाव न केवल व्यक्तियों पर बल्कि जगत की संपूर्ण व्यवस्था पर भी पड़ता है। बेलगाम स्वतंत्रता अराजकता और अव्यवस्था को जन्म दे सकती है, जिससे दूसरों को नुक़सान हो सकता है और सामाजिक संरचनाएं बाधित हो सकती हैं।

स्रष्टा ने वास्तव में मानवता को इस दुनिया और उसके बाहर एक सामंजस्य और पूर्ण अस्तित्व की ओर मार्गदर्शन

करने के लिए नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों की स्थापना की है। ये नैतिक मूल्य एक दिशा सूचक यंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जो हमें करुणा, सहानुभूति, न्याय निष्पक्षता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, आदर, दया आत्म-अनुशासन और ज़िम्मेदारी की ओर निर्देशित करते हैं।

नैतिक मूल्य वह आधार हैं, जिस पर हम उद्देश्य, संतुलन और सद्भाव का जीवन बना सकते हैं। वे हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने और हमारी उच्चतम आकांक्षाओं के अनुरूप विकल्प चुनने में मदद करते हैं। इन मूल्यों का अनुसरण करते हुए हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो सुंदरता, ज्ञान और प्रेम को दर्शाती है।

ये नैतिक मूल्य इस दुनिया और उसके बाद शांतिपूर्ण और सफल जीवन के लिए आवश्यक हैं। क्या हम इन मूल्यों को अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में शामिल करने का प्रयास कर सकते हैं, और वे हमें एक उज्ज्वल, अधिक प्रेमपूर्ण भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं।

यह चिंताजनक है कि सामाजिक

एक ओर स्वतंत्र वातावरण प्रदान करके, हम लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए सशक्त बना सकते हैं, जिससे एक अधिक जीवंत, विविध और समृद्ध समाज बन सकेगा तो दूसरी ओर नैतिक मूल्य हमारे विचारों और कार्यों को निर्देशित करने वाले सिद्धांत और मूल्य हैं जो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या ग़लत है।

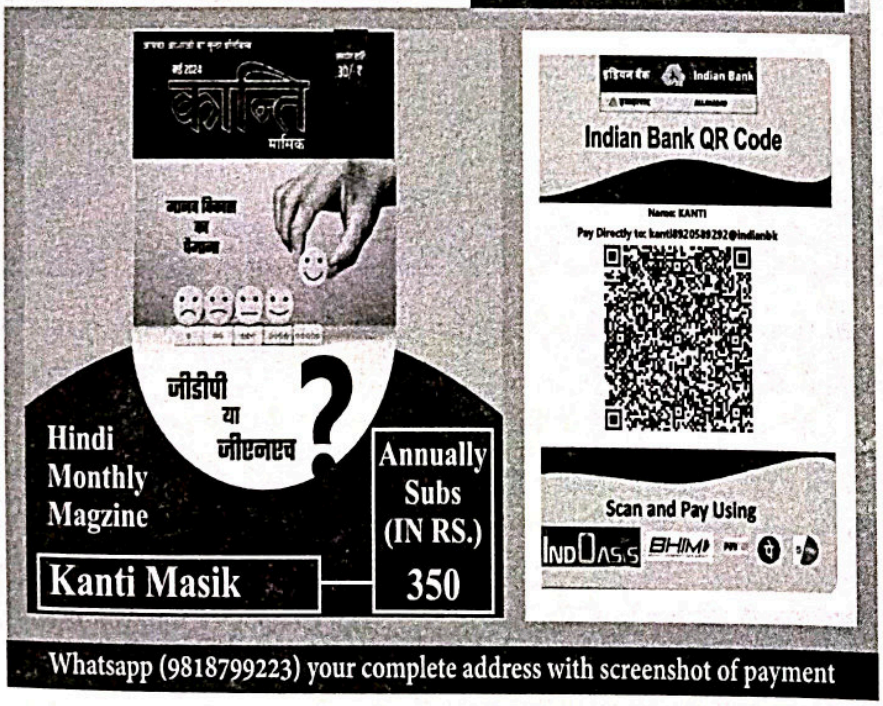

मानदंड और मूल्य तेज़ी ये बदल रहे हैं, अनैतिक माने जाने वाले व्यवहार सामान्य होते जा रहे हैं। इसके लिए सांस्कृतिक मूल्यों और मान्यताओं को बदलाव, मीडिया और प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक्सपोज़र, असंवेदनशीलता में वृद्धि, पारंपरिक नैतिक ढांचे और अधिकार का क्षरण, व्यक्तिवाद और आत्म-अभिव्यक्ति पर बढ़ता ज़ोर, सामाजिक एकता और सामुदायिक मूल्यों का क्षरण, हानिकारक या शोषणकारी व्यवहारों की स्वीकार्यता में वृद्धि, युवाओं में भ्रम और भटकाव जैसे विभिन्न कारकों को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। स्वतंत्रता के नाम पर नैतिक और नैतिक मूल्यों को त्यागने का चलन बढ़ता जा रहा है। हमारे लिए यह समझना ज़रूरी है कि नैतिकता स्वतंत्रता की नींव है।

नैतिकता स्वतंत्रता का आधार इसलिए है, क्योंकि यह हमें अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में सिखाती है। नैतिकता के बिना, स्वतंत्रता अराजकता में बदल सकती है। हमें अपने विचारों और कार्यों में नैतिकता का पालन करना चाहिए, ताकि हम स्वतंत्रता का सही अर्थ समझ सकें और इसका सम्मान कर सकें।

नैतिक मूल्यों को अपनाकर, हम व्यक्तियों को ऐसे विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाते हैं जो दूसरों की भलाई का त्याग किए बिना ख़ुशी और समृद्धि लाते हैं। नैतिकता वह दिशा सूचक यंत्र है जो हमें हमारी पूरी क्षमता की ओर मार्गदर्शन करती है, एक ऐसे समाज का पोषण करती है जो लचीला, दयालु और स्वतंत्रता की रोशनी से जगमगाता है।

सुख और शांति की तलाश में, हमें क्षणभंगुर सुखों और अस्थायी पलायन से धोखा नहीं खाना चाहिए। सच्ची

नैतिकता हमें सिखाती है कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करें ताकि हम दूसरों के साथ प्यार और करुणा से पेश आएं और समाज के लिए अच्छा काम करें। स्वतंत्रता हमें अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का अवसर देती है, लेकिन नैतिकता हमें सिखाती है कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करें ताकि हम अपने और दूसरों के लिए अच्छा काम करें।

संतुष्टि और स्थायी आनंद के लिए, हमें मानवीय रिश्तों में अपने मार्गदर्शक नियम के रूप में नैतिकता के कालातीत ज्ञान की ओर मुड़ना चाहिए। विवाह जैसी पवित्र संस्था के बाहर ख़ुशी की तलाश दर्द, अफ़सोस और लालसा की भूलभुलैया में बदल सकती है।

नैतिकता हमें जीवन की चुनौतियों से पार कराती है, यह सुनिश्चित करती है कि हमारे रिश्ते विश्वास, सम्मान और प्रतिबद्धता की नींव पर बने हैं। यह वह लंगर है जो अशांत समय में भी हमें स्थिर रखता है।

हमें स्वतंत्रता के उन मिथ्या नारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो ख़ुशी का वादा करते हैं, लेकिन केवल अराजकता और निराशा प्रदान करता है। सच्ची स्वतंत्रता नैतिक ज़िम्मेदारी को अपनाने में है, उसे त्यागने में नहीं। साथ मिलकर,

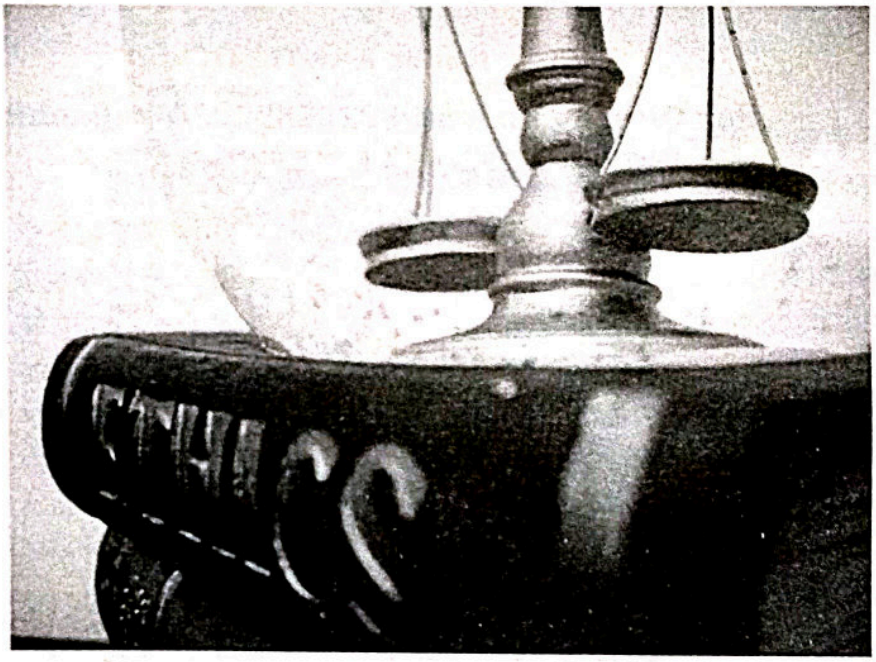

हम एक उज्ज्वल भविष्य को आकार दे सकते हैं, जहां युवा पीढ़ी ज्ञान, नैतिकता और सच्ची स्वतंत्रता के प्रकाश द्वारा निर्देशित होकर आशा की किरण बनेगी। यह समय हम सभी को एकजुट करने वाले सामान्य नैतिक मूल्यों को फिर से खोज कर हमारे समाज के ताने-बाने को पुनर्जीवित करने का है। हमें उन शाश्वत सिद्धांतों को सार्वजनिक चर्चा में सबसे आगे लाना चाहिए जिन्होंने हमें हमेशा एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है।

मानव जीवन और गरिमा का सम्मान, सबके प्रति दया और सहानुभूति, शब्दों और कार्यों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, निःस्वार्थता और व्यापक भलाई के लिए सेवा, परंपरा, संस्कृति और विरासत के प्रति सम्मान आदि ऐसे साझा मूल्य हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने देश की नैतिक नींव को मज़बूत कर सकते हैं। इन मूल्यों को अपनाकर, हम उद्देश्य, समृद्धि और सद्भाव के जीवन के दरवाज़े खोल सकते हैं।

मानवीय अनुभवों की जटिलता को स्वीकार करके और एक सूक्ष्म दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर हम स्वतंत्रता के लिए एक नैतिकता-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकते हैं जो नैतिक विकास और ज़िम्मेदारी को प्रोत्साहित करते हुए व्यक्तिगत स्वायत्तता का समर्थन करता है। आइए हम नैतिक स्वतंत्रता को अपनाएं और एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां लोग फल-फूल सकें, आगे बढ़ सकें। आइए हम इस परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलें, जहां नैतिकता और स्वतंत्रता मिलकर सभी के लिए एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करती है। ■■

कान्ति के वे सब्सक्राइबर

जिन्होंने अभी तक अपनी ख़रीदारी की रक़म जमा नहीं की है,

बराय मेहरबानी

इस QR Code

के ज़रिये जल्द अदायगी करें।

Name: KANTI

Pay Directly to: kanti8920589292@indianbk

नोट :

अदायगी के बाद

स्क्रीनशॉट

इस नम्बर पर

(9818799223)

ज़रूर भेजें।

नैतिक चेतना और भौतिकवादी दृष्टिकोण



प्रकाश स्तंभ



मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां

आज के युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। ऐसा युग जिसमें अंधविश्वास के लिए कोई स्थान न हो जिसमें हर चीज़ को समझ कर और उसे व्यवहार की कसौटी पर कसकर ही उसके विषय में कोई फ़ैसला किया जाता है और इस सिलसिले में किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात से काम नहीं किया जाता, लेकिन हम देखते हैं कि इस वैज्ञानिक युग में भी वह सब कुछ होता है जिसकी कल्पना किसी अंधकार युग में ही की जा सकती है।

आज किसी बात के जानने और उसको समझने के लिए जो सुविधाएं और आसानियां उपलब्ध हैं शायद वे इससे पहले कभी उपलब्ध न रही होंगी, फिर भी सच्चाई को निष्पक्ष भाव से समझना और उसे अपना समर्थन देना कोई सहज कार्य नहीं है। हम एक-दूसरे से इतने भयभीत और बदगुमान हैं कि हमें यह विश्वास नहीं होता कि जीवन में कहीं से कोई आवाज़ ऐसी भी सुनाई दे सकती है जिसके पीछे कोई धोखा-धड़ी और निजी स्वार्थ काम न कर रहा हो बल्कि वह नितांत पवित्र और निष्कलंक हो।

यहां हम इस्लाम धर्म के विषय में कुछ कहना चाहते हैं। इस्लाम जितना स्पष्ट बुद्धिसंगत और हृदय को छूने वाला धर्म है उतना ही वह आज अपरिचित दीख पड़ता है। ढेरों ग़लतफ़हमियां और शंकाएं उसके विषय में पैदा कर दी गई हैं। कितनी ही भ्रामक और गुमराह करने वाली चीज़ें उसके साथ जोड़ दी गई हैं और यह दुष्प्रयास आज से नहीं सैकड़ों वर्ष से जारी है। फिर भी इस घोर अंधकार में अपनी और दूसरों की अंतरात्मा को आवाज़ देना हमारा कर्तव्य है। हम निराश होकर बैठ नहीं सकते। कभी तो मनुष्य अपने आप से निकट होगा और उसे सत्य की आवाज़ सुनाई देगी। इस्लाम की आवाज़ और मनुष्य के अंतरात्मा की आवाज़, दो नहीं एक है। मनुष्य यदि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने में सक्षम हुआ तो इस्लाम को समझना उसके लिए कुछ मुश्किल न रहेगा।

इस्लाम का अध्ययन कई पहलुओं से किया जा सकता है। उदाहरणार्थ ''मानव जीवन में इस्लाम की सार्थकता,'' ''सफल-जीवन इस्लाम

की दृष्टि में,'' ''विभिन्न धर्मों के मध्य इस्लाम की विशिष्टता,'' ''मानव चिंतन पर इस्लाम का प्रभाव,'' ''जीवन की नैतिक मान्यताएं और इस्लाम की शिक्षा,'' आदि। यहां हम केवल इस्लाम के नैतिक दृष्टिकोण के विषय में कुछ कहना चाहेंगे।

मनुष्य में पाई जाने वाली नैतिक चेतना इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि उसको समझने के लिए भौतिकवादी दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है। मानव भौतिक तत्वों के अतिरिक्त भी कुछ है और यह कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण है यही अतिरिक्त उसे सामान्य जीव-जंतुओं से अलग एक विशिष्टता प्रदान करता है। यह अतिरिक्त हमारे चिंतन के लिए ऐसा आधार सिद्ध होता है कि परमात्मा या जगत्-नियंता की धारणा हमारे लिए प्रत्यक्ष सत्य का रूप धारण कर लेती है। चेतना, विशेष रूप से नैतिक चेतना का स्रोत कोई जीवंत सत्ता ही हो सकती है। निर्जीव पदार्थ आदि में इसका स्रोत तलाश करना सबसे बड़ी मूर्खता की बात होगी।

जीवन के लिए नैतिक चेतना वह पवित्र, सूक्ष्म और सुंदर उपहार है जिसकी तुलना अन्य किसी सुंदरता से नहीं की जा सकती। हम जानते हैं कि नैतिक चेतना का गहरा और व्यापक दृष्टिकोण हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को अपनी सीमा में ले लेता है। जीवन के किसी भी पहलू को इसकी सीमा से अलग नहीं किया जा सकता।

यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने पैदा करने वाले ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और जीवन में उनका पालन करें। हमें चाहिए कि हम प्रत्येक अवस्था और हरेक मामले में अपने दायित्व को जाने और कदापि उसकी उपेक्षा न करें।

इस्लाम की शिक्षाओं की विशेषता भी यही है कि वह विचारों एवं धारणाओं से लेकर व्यावहारिक जीवन की छोटी-बड़ी हर चीज़ को नैतिक मूल्यों के प्रकाश में ही देखता है। इस बुनियादी बात को यदि हम अपने सामने रखें तो इस्लामी शिक्षाओं और इस्लाम के निर्देशों का मूल्यांकन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा।

जीवन में नैतिक दायित्वों का निर्वाह कोई सरल कार्य नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे दृष्टिकोण में व्यापकता हो और हमारा हृदय अत्यंत विशाल हो। इसके बिना न तो हम इस्लामी शिक्षाओं के महत्व का अनुमान कर सकते हैं और न उन शिक्षाओं का पालन ही सुचारू रूप से संभव हो सकता है।

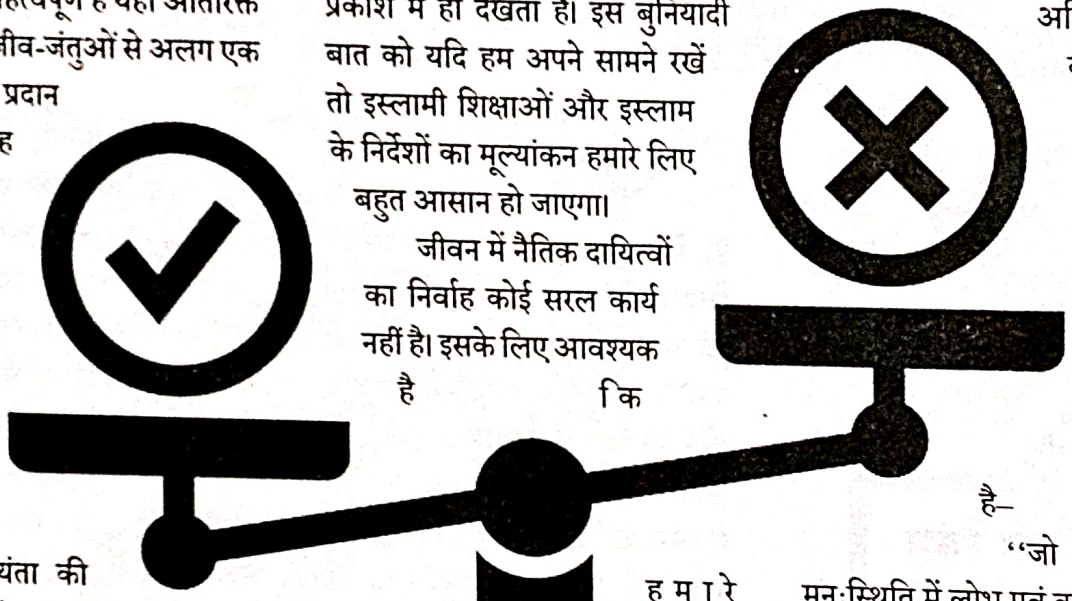

जीवन में नैतिक दायित्वों का निर्वाह कोई सरल कार्य नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे दृष्टिकोण में व्यापकता हो और हमारा हृदय अत्यंत विशाल हो। इसके बिना न तो हम इस्लामी शिक्षाओं के महत्व का अनुमान कर सकते हैं और न उन शिक्षाओं का पालन ही सुचारू रूप से संभव हो सकता है।

एक विशाल और भव्य भवन का नक़्शा किसी कंगाल और दरिद्र व्यक्ति के मन में कदापि नहीं आ सकता और न कभी वह ऐसे भवन के निर्माण की बात सोच सकता है। इसलिए मनुष्य की सफलता के लिए अनिवार्य है कि वह किसी प्रकार की तंगदिली का शिकार न हो। क़ुरआन ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है–

''जो लोग अपनी मनःस्थिति में लोभ एवं कृपणता से बचे रहे वही लोग सफलता प्राप्त करने वाले हैं।'' (59:9)

ईश्वर के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्स.) का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है :

'आस्थावान व्यक्ति (मोमिन) में दो चीज़ें एकत्र नहीं हो सकती कृपणता और दुराचरण।' (अहमद)

इस्लाम की समस्त शिक्षाएं मानव प्रकृति की परिचायक हैं। अतः वह हमारे लिए दुस्साध्य और अप्रिय नहीं हो सकतीं। यह अलग बात है कि हम अपनी प्रकृति और अपने वास्तविक स्वभाव से दूर हो जाएं और हितकर बातों को अहितकारी समझने लगें।

इस्लामी शिक्षाओं के अनुपालन का अर्थ वास्तव में अपनी अंतरात्मा और अपने व्यक्तित्व को विकसित करना है। इसके अतिरिक्त इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। इस्लामी शिक्षाओं का अनुपालन हमारे अपने स्वाभाविक चरित्र के अनुकूल भी है और इसी के अनुपालन से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण उसकी रक्षा और उसका विकास भी संभव है।

मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसके ईमान और उसकी नैतिकता का परिचायक हो, यही इस्लाम में अभीष्ट है। अल्लाह (ईश्वर) के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने कहा है ईमान (अर्थात् आस्था सम्मत नैतिक मान्यताओं) के सत्तर से अधिक स्तर हैं। उनमें सबसे ऊंचा स्तर यह कहना है कि ''अल्लाह के सिवा कोई बंदगी और उपासना के योग्य नहीं और उनमें (स्तरों) सबसे छोटा स्तर यह है कि रास्ते से (कांटा-पत्थर आदि) कष्टदायक चीज़ों को हटा दिया जाए। लज्जा भी ईमान की शाखाओं में से एक शाखा है।

(बुख़ारी, मुस्लिम)

आप (सल्ल.) ने कहा है : ''ईश्वर (अल्लाह) उस व्यक्ति पर दया नहीं दर्शाता जो लोगों पर दया नहीं करता।'' (बुख़ारी, मुस्लिम)

सार यह है कि इस्लाम में धर्म- परायण होने के लिए सिर्फ़ इतना ही काफ़ी नहीं है कि आदमी अपना संबंध ईश्वर से ठीक रखें, बल्कि इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि हमारे संबंध लोगों से भी अच्छे और मधुर हों। वास्तव में आपसी संबंधों को ठीक रखने और उनका हक़ पहचानने ही का नाम इस्लाम है।

काश! दुनिया इस सीधी-सच्ची बात को समझ सकती है।

■■

मनुष्य में पाई जाने वाली नैतिक चेतना इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि उसको समझने के लिए भौतिकवादी दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है। मानव भौतिक तत्वों के अतिरिक्त भी कुछ है और यह कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण है यही अतिरिक्त उसे सामान्य जीव-जंतुओं से अलग एक विशिष्टता प्रदान करता है। यह अतिरिक्त हमारे चिंतन के लिए ऐसा आधार सिद्ध होता है कि परमात्मा या जगत्-नियंता की धारणा हमारे लिए प्रत्यक्ष सत्य का रूप धारण कर लेती है। चेतना, विशेष रूप से नैतिक चेतना का स्रोत कोई जीवंत सत्ता ही हो सकती है। निर्जीव पदार्थ आदि में इसका स्रोत तलाश करना सबसे बड़ी मूर्खता की बात होगी।



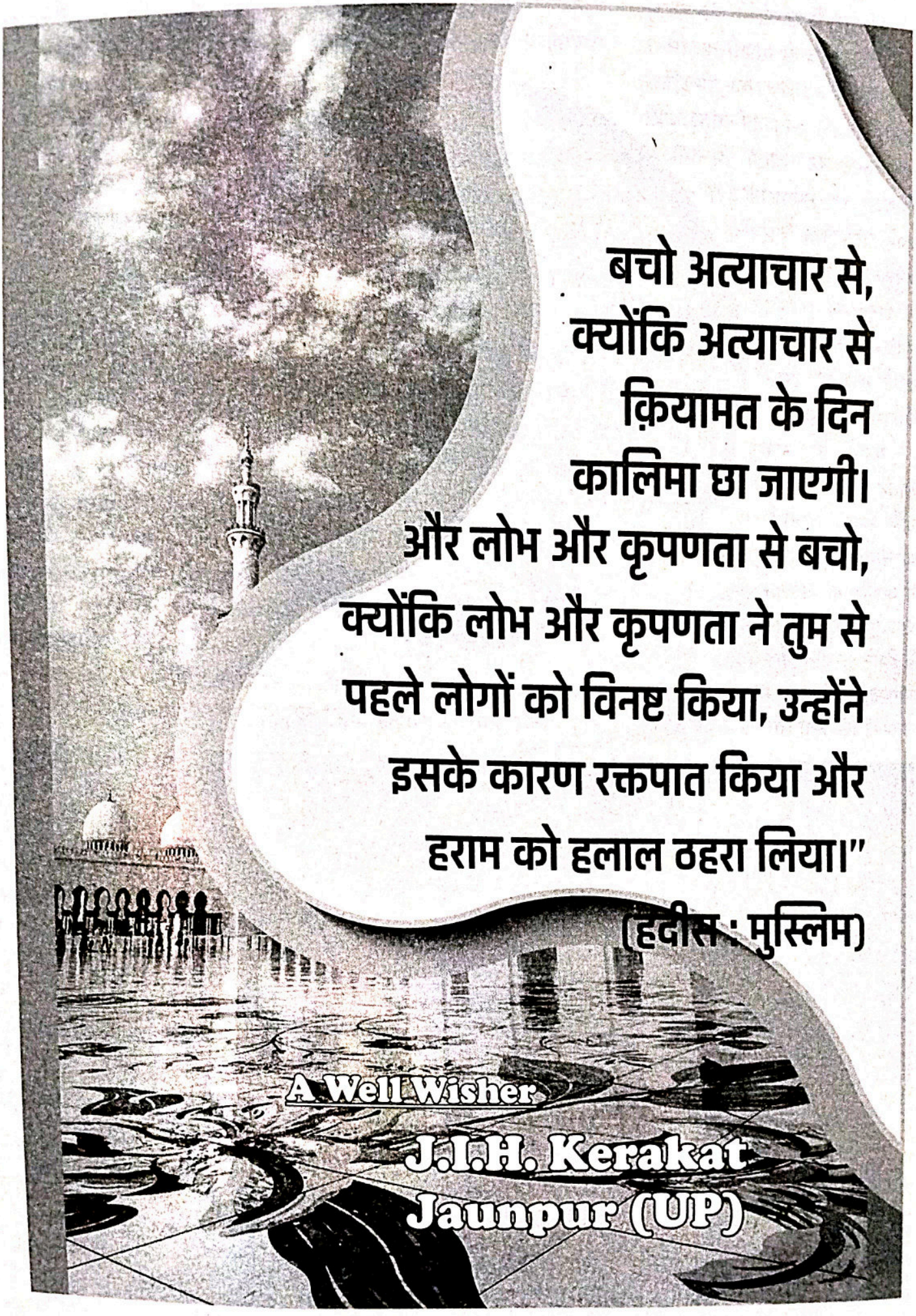
बचो अत्याचार से,
क्योंकि अत्याचार से
क़ियामत के दिन
कालिमा छा जाएगी।
और लोभ और कृपणता से बचो,
क्योंकि लोभ और कृपणता ने तुम से
पहले लोगों को विनष्ट किया, उन्होंने
इसके कारण रक्तपात किया और
हराम को हलाल ठहरा लिया।"
(हदीस : मुस्लिम)
A Well Wisher
J.I.H. Kerakat
Jaunpur (UP)



मनुष्य एक नैतिक अस्तित्व

समाधान



संपादन प्रभाग

मानव के अन्दर नैतिकता की भावना एक स्वाभाविक भावना है जो कुछ गुणों को पसन्द और कुछ दूसरे गुणों को नापसन्द करती है। यह भावना व्यक्तिगत रूप से लोगों में भले ही थोड़ी या अधिक हो किन्तु सामूहिक रूप से सदैव मानव-चेतना ने नैतिकता के कुछ मूल्यों को समान रूप से अच्छाई और कुछ को बुराई की संज्ञा दी है। सत्य, न्याय, वचन-पालन और अमानत को सदा ही मानवीय नैतिक सीमाओं में प्रशंसनीय माना गया है और कभी कोई ऐसा युग नहीं बीता जब झूठ, ज़ुल्म, वचन-भंग और ख़ियानत को पसन्द किया गया हो। हमदर्दी, दया भाव, दानशीलता और उदारता को सदैव सराहा गया तथा स्वार्थपरता, क्रूरता, कंजूसी और संकीर्णता को कभी आदर योग्य स्थान नहीं मिला। इससे मालूम हुआ कि मानवीय नैतिकताएं वास्तव में ऐसी सर्वमान्य वास्तविकताएं हैं जिन्हें सभी लोग जानते हैं और सदैव से जानते चले आ रहे हैं।

मानव समाज में धैर्य, सहनशीलता, स्थैर्य, गंभीरता, दृढ़संकल्पता व बहादुरी वे गुण हैं जो सदा से प्रशंसनीय रहे हैं। इसके विपरीत धैर्यहीनता, क्षुद्रता, विचार की अस्थिरता, निरुत्साह और कायरता पर कभी भी श्रद्धा-सुमन नहीं बरसाए गए। आत्मसंयम, स्वाभिमान, शिष्टता और मिलनसारी की गणना सदैव उत्तम गुणों में ही होती रही और कभी ऐसा नहीं हुआ कि भोग-विलास, ओछापन और अशिष्टता ने नैतिक गुणों की सूची में कोई जगह पाई हो। कर्तव्यपरायणता, विश्वसनीयता, तत्परता एवं उत्तरदायित्व की भावना का सदा सम्मान किया गया तथा कर्तव्य विमुख, धोखाबाज़, कामचोर तथा ग़ैर ज़िम्मेदार लोगों को कभी अच्छी नज़र से नहीं देखा गया। इसी प्रकार सामूहिक जीवन के सद्गुणों व दुर्गुणों के मामले में भी मानवता का फ़ैसला एक जैसा रहा है। प्रशंसा की दृष्टि से वही समाज देखा गया है जिसमें अनुशासन और व्यवस्था हो,

आपसी सहयोग तथा सहकारिता हो, आपसी प्रेमभाव तथा हितचिन्तन हो, सामूहिक न्याय व सामाजिक समानता हो। आपसी फूट, बिखराव, अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, मतभेद, परस्पर द्वेषभाव, अत्याचार और असमानता की गणना सामूहिक जीवन के प्रशंसनीय लक्ष्णों में कभी भी नहीं की गई। ऐसा ही मामला चरित्रा की अच्छाई और बुराई का भी है। चोरी, व्यभिचार, हत्या, डकैती, धोखाधड़ी और घूसख़ोरी कभी सत्कर्म नहीं माने गए। अभद्र भाषण, उत्पीड़न, पीठ पीछे बुराई, चुग़लख़ोरी, ईर्ष्या, दोषारोपण तथा उपद्रव फैलाने को कभी 'पुण्य' नहीं समझा गया। मक्कार, घमंडी, आडम्बरवादी, कपटाचारी, हठधर्म और लोभी व्यक्ति कभी भले लोगों में नहीं गिने गए। इसके विपरीत मां-बाप की सेवा, संबंधियों की सहायता, पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार, मित्रों से हमदर्दी, निर्बलों की हिमायत, अनाथों और बेसहारों की देख-रेख, रोगियों की सेवा तथा पीड़ितों की मदद सदैव नेकी समझी गई है। स्वच्छ चरित्र वाला मधुर-भाषी, विनम्र-भाव व्यक्ति और सबकी भलाई चाहने वाले लोग सदा आदरणीय रहे। मानवता उन्हीं लोगों को अपना उत्तम अंश मानती रही है जो सच्चे और शुभचिंतक हों, जिन पर हर मामले में भरोसा किया जा सके, जिनका बाहर और भीतर एक समान हो, जिनकी कथनी करनी में समानता हो, जो अपने हितों की प्राप्ति में संतोष करने वाले और दूसरों के अधिकारों और हितों को देने में उदार हृदय हों, शांतिपूर्वक रहें और दूसरों को शान्ति प्रदान करें, जिनके व्यक्तित्व से प्रत्येक को 'भलाई' की आशा हो और किसी को बुराई की आशंका न हो।

अब प्रश्न यह है कि यदि नैतिकता की भलाई और बुराई जानी-पहचानी चीज़ें हैं और दुनिया सदैव कुछ गुणों के अच्छा और कुछ के बुरा होने पर एकमत रही है तो फिर दुनिया में ये भिन्न-भिन्न



नैतिक व्यवस्थाएं क्यों पाई जाती हैं? उनके बीच अंतर क्यों है?

इस विषय को समझने के लिए जब हम विश्व की विभिन्न नैतिक प्रणालियों पर नज़र डालते हैं तो पहली दृष्टि में ही जो अन्तर हमारे सामने आता है वह यह है कि विभिन्न नैतिक गुणों को जीवन की सम्पूर्ण व्यवस्था में लागू करने, उनकी सीमा, स्थान और उपयोग निश्चित करने तथा उनके उचित अनुपात के निर्धारित करने में ये सब प्रणालियां परस्पर भिन्न हैं। अधिक गहराई से देखने पर इस अन्तर का कारण यह प्रतीत होता है कि वास्तव में वह नैतिकता की अच्छाई व बुराई का स्तर निर्धारित करने तथा भलाई और बुराई के ज्ञान का स्रोत तय करने में भिन्न-भिन्न मत रखते हैं। उनके बीच इस मामले में भी मतभेद है कि आचार संहिता की क्रियान्वयन शक्ति (Authority) कौन-सी है जिसके बल पर वह लागू की जा सके और वे कौन-से प्रेरक तत्व हैं जो मनुष्य को इस क़ानून के पालन पर तैयार कर सकें।

जब हम इस मतभेद के कारणों की खोज लगाते हैं तो अंततः यह वास्तविकता हम पर खुलती है कि वह वास्तविक चीज़ जिसने इन सब नैतिक व्यवस्थाओं के रास्ते अलग-अलग कर दिए हैं वह यह है कि उनके बीच ब्रह्माण्ड की अवधारणा, विश्व में मनुष्य की हैसियत तथा मानव-जीवन के उद्देश्य के संबंध में मतभेद है। इसी मतभेद ने जड़ से लेकर शाखाओं तक उनकी आत्मा, उनके स्वभाव और उनके स्वरूप को एक-दूसरे से बिल्कुल अलग कर दिया है। मानव-जीवन में मौलिक निर्णायक प्रश्न ये हैं कि इस विश्व को कोई स्वामी है या नहीं? है तो वह एक है या अनेक हैं? उसके गुण क्या हैं? हमारे साथ उसका संबंध क्या है? उसने हमारे मार्गदर्शन का कोई प्रबंध किया है या नहीं? हम उसके सामने उत्तरदायी हैं या नहीं? उत्तरदायी हैं तो किस बात के? और हमारे जीवन का

लक्ष्य और परिणाम क्या है जिसे सामने रखकर हम कार्य करें? इन प्रश्नों का उत्तर जिस प्रकार का होगा उसी के अनुसार जीवन-व्यवस्था बनेगी और उसी के अनुरूप नैतिक नियमों का निर्माण होगा।

इस संक्षिप्त आलेख में यह बात कठिन है कि विश्व की विभिन्न जीवन-प्रणालियों का विश्लेषण करके यह बताया जाए कि उनमें किस-किस ने इन प्रश्नों का कौन-सा उत्तर अपनाया है और उस उत्तर ने उसके स्वरूप और मार्ग निर्धारण पर क्या प्रभाव डाला है? यहां केवल इस्लाम के संबंध में बतलाया जाएगा कि इसके आधार पर किस विशेष प्रकार की नैतिक व्यवस्था अस्तित्व में आती है।

इस व्यवस्था की विशेषताएं वैसे तो बहुत हैं मगर उनमें से तीन बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें इसका महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है।

पहली विशेषता यह है कि वह ईश-प्रसन्नता को लक्ष्य बनाकर नैतिकता के लिए एक ऐसा उच्च मानदंड प्रस्तुत करता है, जिसके कारण नैतिक उत्थान की कोई अंतिम सीमा नहीं रहती। ज्ञान के एक स्रोत का निर्धारण करके नैतिकता को ऐसा स्थायित्व प्रदान करता है कि जिसमें उन्नति की तो संभावना है मगर अनावश्यक परिवर्तन की नहीं। ईशभय के द्वारा नैतिक नियतों के लागू करने के लिए वह बल देता है जो बाहरी दबाव के बग़ैर भी इन्सान से उसकी पाबन्दी कराता है। ईश्वर और परलोक पर विश्वास वह प्रेरक शक्ति प्रदान करता है जो इन्सान को स्वयमेव नैतिक नियमों का अनुसरण करने की चाहत और स्वीकृति पैदा करता है।

दूसरी विशेषता यह है कि इस्लाम अनावश्यक उर्वरता से काम लेकर कुछ निराली नैतिकता को प्रस्तुत नहीं करता

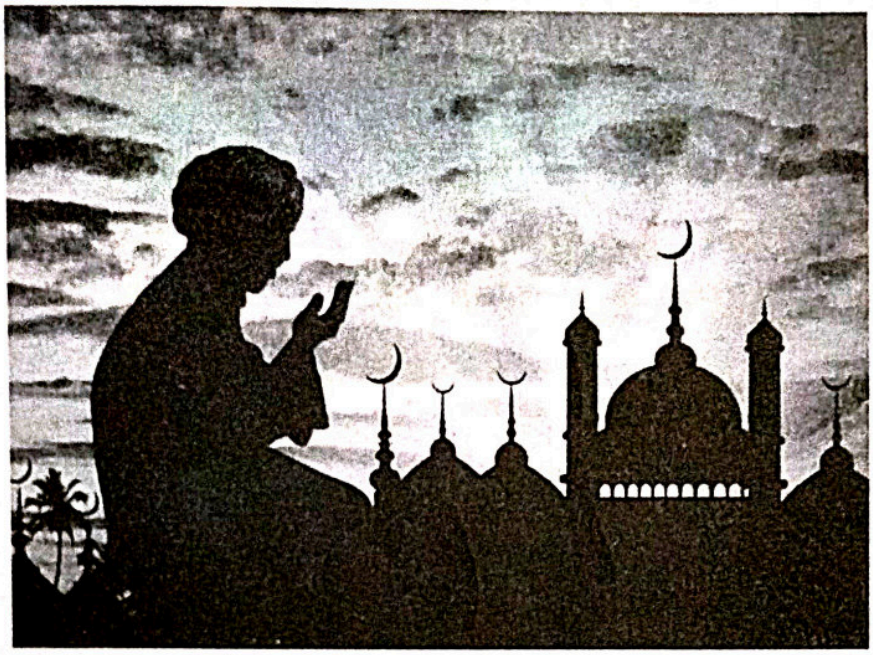

और न मानव के प्रमुख नैतिक सिद्धांतों में से कुछ को घटाने-बढ़ाने का प्रयास करता है। वह उन्हीं नैतिक उसूलों को लेता है जो जाने-पहचाने हैं और उनमें से कुछ को नहीं बल्कि सबको लेता है। फिर जीवन में पूर्ण संतुलन के साथ प्रत्येक की स्थिति, स्थान और उपयोग तय करता है और उन्हें इतने व्यापक रूप से लागू करता है कि व्यक्तिगत आचरण, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीति, कारोबार, बाज़ार, शिक्षण संस्था, न्यायालय, पुलिस लाइन, छावनी, रणक्षेत्र, समझौता कांफ्रेंस अर्थात जीवन का कोई भाग नैतिकता के व्यापक प्रभाव-क्षेत्र से बच नहीं पाता। हर जगह और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह नैतिकता को शासक बनाता है और उसका प्रयास यह है कि जीवन के मामलों की लगाम इच्छाओं, स्वार्थों और परिस्थितियों के बजाय नैतिकता के हाथ में हो।

तीसरी विशेषता यह है कि वह (इस्लाम) इंसानियत से एक ऐसी जीवन-व्यवस्था की मांग करता है जो अच्छाई पर आधारित हो और बुराई से पाक हो। उसका आह्वान यही है कि जिन भलाइयों को मानवता के स्वभाव ने सदा भला जाना है आओ उन्हें स्थापित करें और फैलाएं तथा जिन बुराइयों को मानवता सदा बुरा समझती रही है, आओ, उन्हें दबाएं और मिटाएं। इस आह्वान को जिन्होंने स्वीकार किया उन्हें इकट्ठा करके इस्लाम ने एक उम्मत (समुदाय) बनाई जिसका नाम मुस्लिम था, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि वह 'भलाई' को जारी करे और 'बुराई' को दबाने और मिटाने के लिए संगठित प्रयास करे।

अच्छाई और बुराई कोई ढकी-छिपी चीज़ें नहीं हैं कि उन्हें कहीं से ढूंढ़कर निकालने की आवश्यकता हो। वे तो मानवता की चिरपरिचित चीज़ें हैं जिनकी चेतना मानव की प्रकृति में समाहित कर दी गई है। यही कारण है कि क़ुरआन अपनी भाषा में नेकी और भलाई को 'मारूफ़' (जानी-पहचानी हुई चीज़) और बुराई को 'मुनकर' (मानव की प्रकृति जिसका इन्कार करे) के शब्दों से अभिहित करता है।

"मानवीय आत्मा को ईश्वर ने भलाई और बुराई का ज्ञान अंतः प्रेरणा के रूप में प्रदान कर दिया है।" ■■

(क़ुरआन, 91:8)

कविता

श्रावणी सक्सेना

सहारा

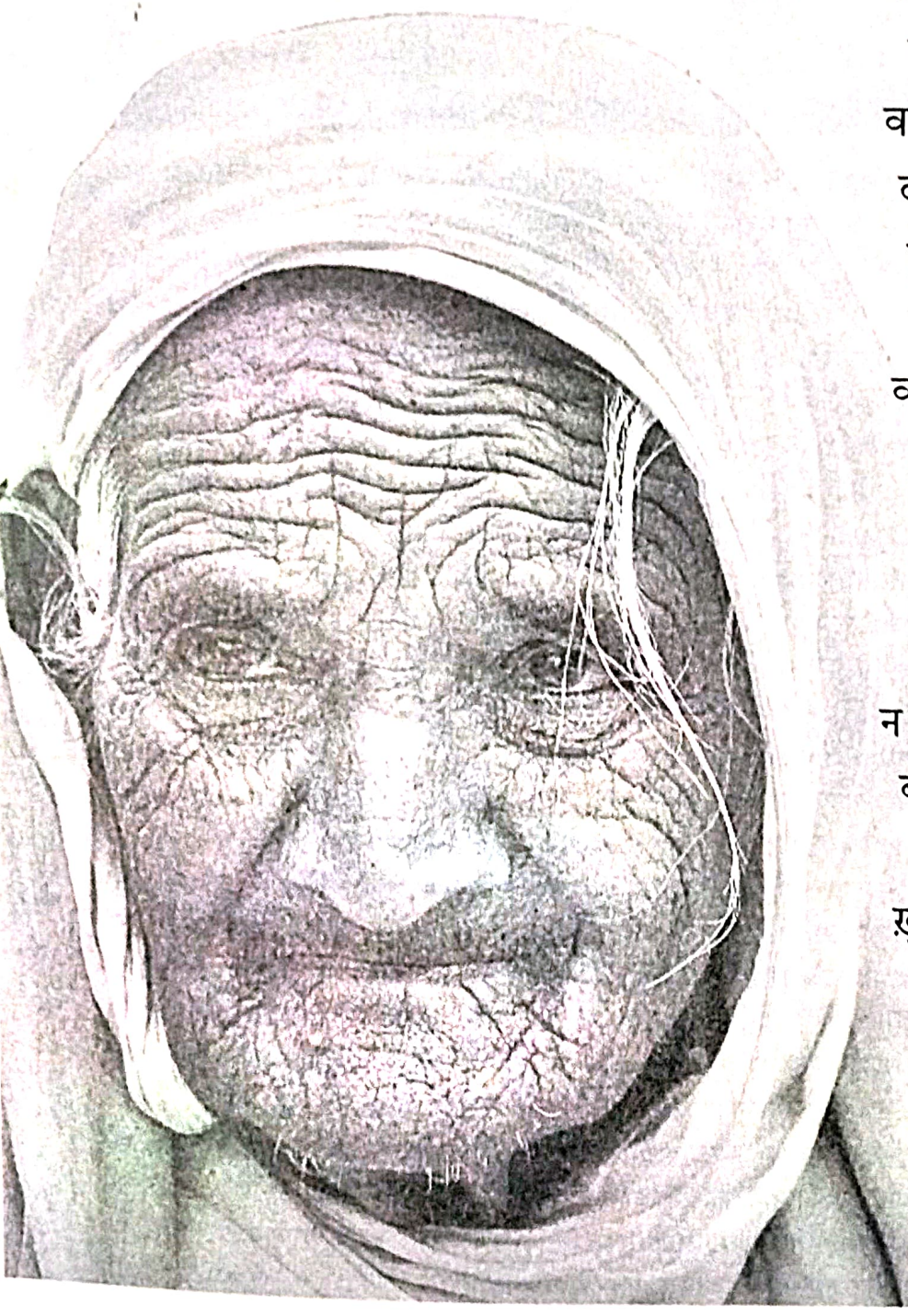

सांझ ढली, दिन ढल ही गया
वह आंख न अब तक सुस्ताई है
दरवाज़े पर ऐसी टिकी है नज़र
कुछ और न सुध ले पायी है।

वह निर्बल हाथों में डंडा पकड़े
चौखट के चक्कर लगा रही
परदेस गए अपने बेटे को
मन ही मन पुकार रही।

न कही किसी को व्यथा मन की
बात बच्चे के भविष्य की थी
अपने कल को दूर भेज कर
ख़ुद लाठी के सहारे चल रही।



सांप्रदायिक विभाजन को संस्थागत बनाने का कुत्सित प्रयास

विशेष आयोजन



सुफ़ियान अहमद

एक ओर जहां दुनिया भर के अधिकतर देश भविष्य की अपनी चुनौतियों का आकलन करने तथा उससे निपटने में अपनी संपूर्ण मेधा को झोंके हुए हैं, वहीं भारत में काफ़ी संख्या में राजनीतिक नेतृत्व आज भी जाति और धर्म को नकारात्मक रूप से मुख्य विमर्श बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा खपाए हुए है।

हाल में ही कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानदारों को नाम की तख़्ती लगाने सम्बंधी सरकारी फ़रमान इसका ताज़ा उदाहरण है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़-यात्रियों के मार्ग पर स्थित सभी खाद्य दुकानों के मालिकों के नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगा दी, लेकिन यह केवल एक अस्थायी राहत है। एक समाज के रूप में हमें अभी भी उस अंतर्निहित मानसिकता से निपटना होगा, जिसका प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश सरकार का यह आदेश करता था।

आज दुनिया बेरोज़गारी, तरह-तरह की बीमारी, मंदी इत्यादि से जूझ रही है, साथ ही आने वाली चुनौतियों को लेकर बेचैन है। इसके अलावा पर्यावरण, ग्रीन गैसों के आतंक, प्रदूषण तथा गैस उत्सर्जन के कारण तरह-तरह के होते बदलाव को लेकर भी चिंतित है। जल संकट आने वाले समय की बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है, तो भारत में राजनैतिक नेतृत्व मानो सभी तथ्यों से बेख़बर कभी हिंदू बनाम मुसलमान, तो कभी मंदिर-मस्जिद में उलझा हुआ दिखता है। इसे वैचारिक दिवालियापन ही कहा जाएगा।

जिन मुद्दों का लोगों की बेहतरी से कोई संबंध नहीं है और कम से कम 90 प्रतिशत से ज़्यादा लोगों का तो कोई संबंध नहीं है, उन मुद्दों से देश को भटकाना क्या देश और समाज के साथ गद्दारी नहीं है।

कांवड़-यात्रा की परंपरा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सरकार इसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए सभी आवश्यक उपाय कर सकती है। वह

व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विभिन्न विवरणों को सार्वजनिक करने की मांग भी कर सकती है, बशर्ते यह सार्वजनिक हित में हो, लेकिन हमें किसी भुलावे में नहीं रहना चाहिए। दुकान मालिक के नाम को प्रदर्शित करने के सरकारी आदेश का मुसलमानों को निशाना बनाते हुए उनका बहिष्कार करने के लिए सिवा कोई और प्रयोजन मालूम नहीं हो रहा था!

सरकार कांवड़-यात्रा को सुविधा-जनक बनाने के तमाम जतन ज़रूर कर सकती है, लेकिन वह इससे आगे बढ़ रही थी। उसका तर्क था कि वह आदेश कांवड़ियों को ऐसे निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए था, जिससे यात्रा की पवित्रता बनी रहे। यह अनेक कारणों से सांप्रदायिक तर्क है। कांवड़-यात्री जिसके साथ चाहें क्रय-विक्रय कर सकते हैं। इन आदेशों से सरकारी अधिकारियों को छोटे दुकानदारों को परेशान करने और उनकी पहचान और काग़ज़ात की लगातार जांच करने का अधिकार मिल जाता। यह 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के सिद्धांत के अनुरूप भी नहीं था।

इससे भी गम्भीर बात यह थी कि यह आदेश मुसलमानों की दुकानों को अन्य दुकानों से स्पष्ट रूप से अलग करने की अनुमति देने वाला था। आख़िर कोई इन दुकान मालिकों की सार्वजनिक रूप से पहचान क्यों करना चाहेगा? इसके पीछे यह तर्क था कि धोखाधड़ी और अशुद्धता से बचने के लिए दुकानदार की पहचान आवश्यक है। किसी दुकान का नाम हिंदू जैसा लगता हो, लेकिन वह किसी मुस्लिम द्वारा संचालित हो सकती है। वहीं यह आदेश तीर्थयात्रियों को केवल हिंदुओं से भोजन ख़रीदने की अनुमति देकर कांवड़ यात्रा की शुद्धता को बनाए रखने में मदद करता।

अगर आप इस पर सोशल मीडिया पर चल रही बहसों पर नज़र डालें, तो स्पष्ट हो जाएगा कि इन आदेशों के पीछे यह पूर्वग्रह छिपा था कि मुसलमान अपनी पहचान को ग़लत तरीक़े से पेश करके धोखाधड़ी करते हैं, लेकिन किसी दुकान का ऐसा नाम होना ग़ैर-क़ानूनी नहीं है, जो उसके मालिक के धर्म को नहीं दर्शाता हो। यह शर्म की ही बात होनी चाहिए कि भारत में अल्पसंख्यक और दलित अपनी पहचान छुपाकर ही व्यापार कर पाते हैं। इससे भी ख़तरनाक बात यह है कि यह विमर्श इस विचार को सामान्य बनाता है कि मुसलमान किसी तरह के प्रदूषण का स्रोत हैं।

याद रखें कि धार्मिक समूहों की अपनी वर्जनाएं होती हैं। मुसलमान हलाल भोजन को प्राथमिकता देते हैं, कांवड़-यात्री शाकाहारी या सात्विक भोजन पसंद कर सकते हैं। वे इन विकल्पों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ये विकल्प बेचे जा रहे उत्पाद की गुणवत्ता से तय होते हैं, बेचने वाले की पहचान से नहीं।

इसलिए यह आग्रह कि शुद्धता के लिए किसी दुकान के मालिक की पहचान जानना ज़रूरी है, मुसलमानों को निशाना बनाने के अलावा और कुछ



किसी भी देश और समाज के नेतृत्व की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने यहां धार्मिक और सामाजिक कटुता दूर करे अंधविश्वास ख़त्म करे और इतिहास की कटुता से अपने समाज और देश को दूर करने का ज़रिया बने। नई पीढ़ी को नया प्रगतिशील समाज और देश बनाने को प्रेरित करे न कि पुरानी कटुता अगली पीढ़ी को सौंपे। फिर भी जो लोग ऐसा करते हैं वो वैसे लोग हैं जिनके पास देश समाज और मानवता के लिए कोई सार्थक सपने नहीं हैं। वे देश को केवल जाति और धर्म में उलझा कर असल मुद्दों से मुंह छुपाना चाहते हैं।

नहीं मालूम होता है। यह प्रशासनिक आदेशों की आड़ में अस्पृश्यता के एक नए रूप को संस्थागत बनाने का प्रयास था।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा उठाए गए इस क़दम के बाद राजनीतिक गलियारों में विशेष गर्मी देखने को मिली। सपा, बसपा समेत

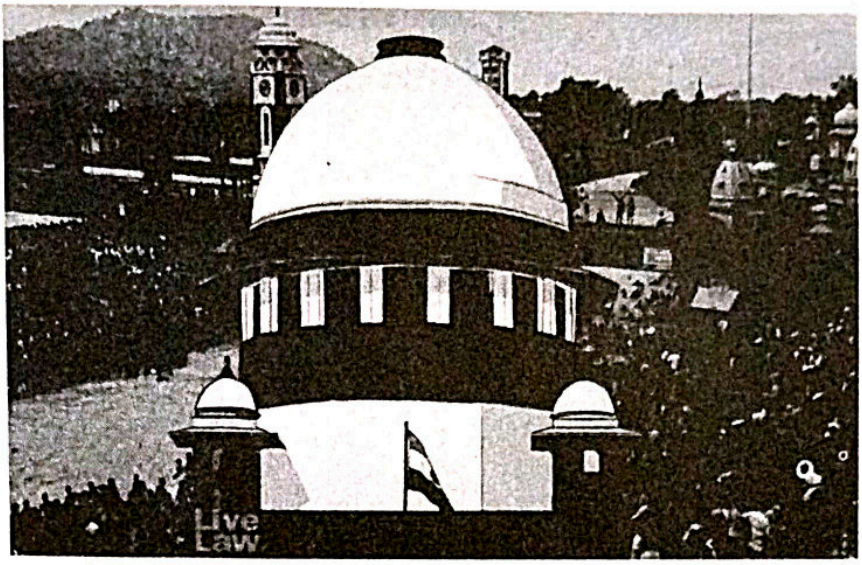

तमाम विपक्षी दलों ने तो इसका विरोध किया ही भाजपा के सहयोगी दलों ने भी इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। भाजपा के सहयोगी दलों में शामिल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी योगी के फ़ैसले पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि मेरी लड़ाई जातिवाद और सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ है। इसलिए जहां कहीं भी जाति और धर्म के विभाजन की बात होगी, मैं उसका कभी भी समर्थन नहीं करूंगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख़्तार अब्बास नक़वी ने योगी के इस आदेश को छुआछूत को बढ़ावा देने वाला बताया। हालांकि बाद में वे अपने बयान से पलटते हुए नज़र आए। भाजपा के अन्य सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने इस आदेश को ग़ैर-संवैधानिक, जाती और सम्प्रदाय को बढ़ावा देने वाला क़दम बताया।

एक ओर जहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने इस आदेश को संविधान, लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला बताया, तो दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुआ कहा कि चुनावी लाभ हेतु यह आदेश पूर्णतः असंवैधानिक है। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बायकाट करने का प्रयास अति-निन्दनीय है। साथ ही सपा सांसद प्रो. राम गोपाल यादव का कहना था कि लोकसभा चुनावों में अपनी पराजय से बौखलाई प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहती है।

सार रूप में यह कहा जा सकता है कि किसी भी न्यायप्रिय व्यक्ति द्वारा ऐसे किसी भी सरकारी फ़रमान का समर्थन नहीं किया जा सकता जो सांप्रदायिक विभाजन की बात करता हो।

किसी भी देश और समाज के नेतृत्व की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने यहां धार्मिक और सामाजिक कटुता दूर करे, अंधविश्वास ख़त्म करे और इतिहास की कटुता से अपने समाज और देश को दूर करने का ज़रिया बने। नई पीढ़ी को नया प्रगतिशील समाज और देश बनाने को प्रेरित करे न कि पुरानी कटुता अगली पीढ़ी को सौंपे। फिर भी जो लोग ऐसा करते हैं वो वैसे लोग हैं जिनके पास देश, समाज और मानवता के लिए कोई सार्थक सपने नहीं हैं। वे देश को केवल जाति और धर्म में उलझा कर अस्ल मुद्दों से मुंह छुपाना चाहते हैं। देश और समाज को इन लोगों को आईना दिखाना ही होगा तभी ऐसे लोगों से मुक्ति मिलेगी। ■■

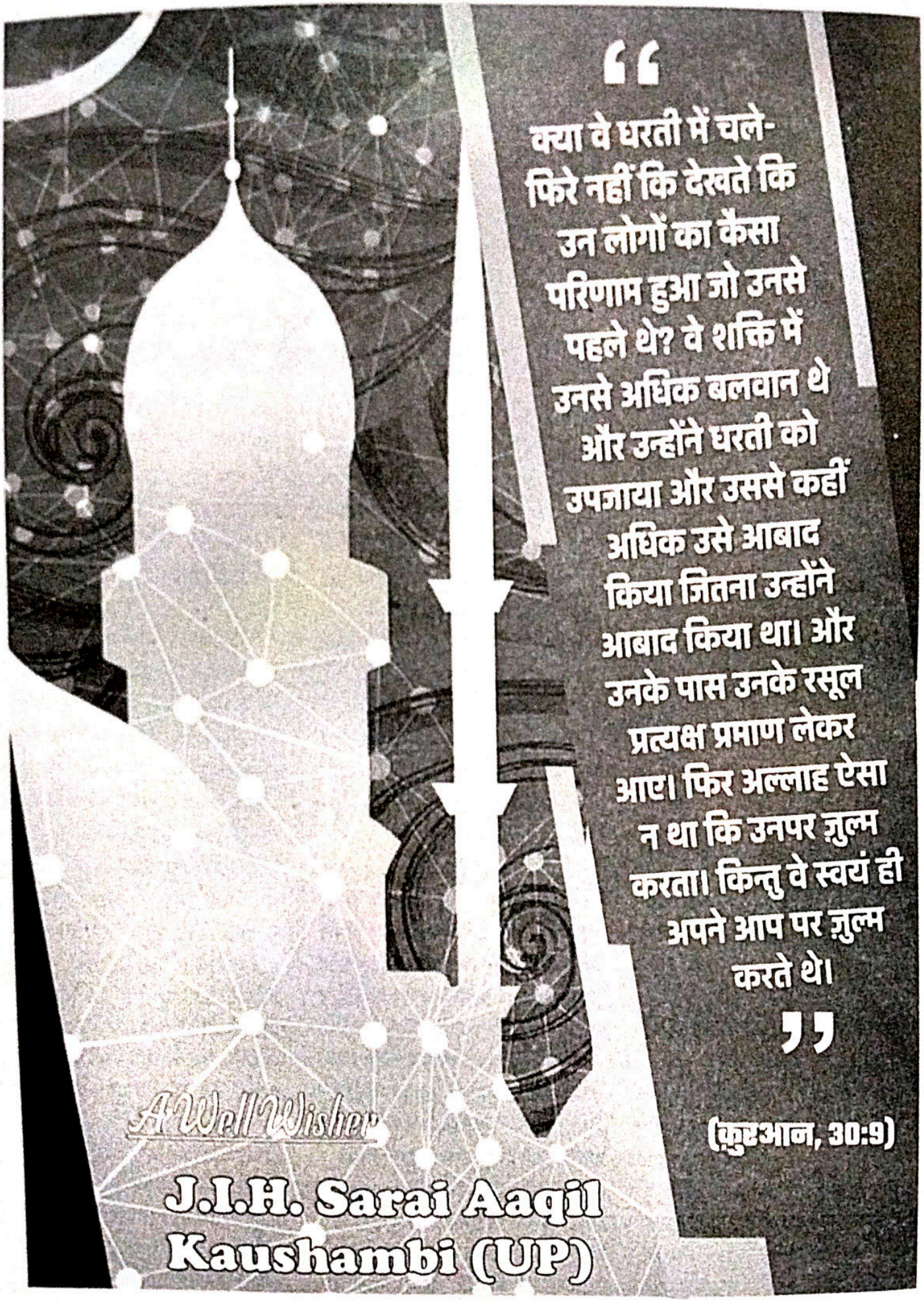
“
क्या वे धरती में चले-
फिरे नहीं कि देखते कि
उन लोगों का कैसा
परिणाम हुआ जो उनसे
पहले थे? वे शक्ति में
उनसे अधिक बलवान थे
और उन्होंने धरती को
उपजाया और उससे कहीं
अधिक उसे आबाद
किया जितना उन्होंने
आबाद किया था। और
उनके पास उनके रसूल
प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर
आए। फिर अल्लाह ऐसा
न था कि उनपर ज़ुल्म
करता। किन्तु वे स्वयं ही
अपने आप पर ज़ुल्म
करते थे।
”
(क़ुरआन, 30:9)
A Well Wisher
J.I.H. Sarai Aaqil
Kaushambi (UP)

अभिमत

राजदीप सरदेसाई
(वरिष्ठ पत्रकार)



खानपान के आधार पर देश को बांटने की कोशिश

पिछले कई सालों से मैं 'इलेक्शन ऑन माय प्लेट' नामक एक टीवी शो कर रहा हूं, जो दर्शकों को चुनाव-अभियान के बारे में बताता है और खाने-पीने की चीज़ें उनका अतिरिक्त आकर्षण होती हैं। दरअस्ल, इस शो का 'स्टार' खाना ही है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, जो भारत की खाद्य-विविधता की बराबरी कर सके। ऐसे में यूपी और उत्तराखंड पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान भोजन की 'पुलिसिंग' का सहारा लेना भारतीय होने के मूल अर्थ पर ही प्रहार करना था।

आख़िर भारत के अलावा और कहां ऐसा हो सकता है कि मदुरै के प्रतिष्ठित मीनाक्षीपुरम् मंदिर के पास अम्माज़ किचन नामक एक अद्भुत रेस्तरां आपको मिले, जो बेहतरीन चेट्टीनाड मांसाहारी भोजन परोसता हो? पुराने जयपुर में एक मुस्लिम परिवार द्वारा पीढ़ियों से चलाया जा रहा तीन मंज़िला रेस्तरां आपको और कहां मिलेगा, जो स्वादिष्ट मुग़लई भोजन परोसता हो और जो एक 'शुद्ध' शाकाहारी भोजनालय के ठीक बगल में स्थित हो? पुणे-सोलापुर राजमार्ग पर आपको जय तुलजा भवानी नामक एक ढाबा और कहां मिलेगा, जहां स्वादिष्ट मटन पकता हो? और भारत के अलावा आपको विजयवाड़ा के केंद्र में एक ऐसी फूड स्ट्रीट और कहां मिलेगी, जहां आधा दर्जन प्रकार की आंध्र बिरयानी इडली-डोसे के साथ ही बेची जाती हो?

शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व हमेशा से इस देश की भोजन-कला का सूत्र रहा है। यहां किसी रेस्तरां का मूल्यांकन उसके मालिक के नाम नहीं, बल्कि खाने की गुणवत्ता से होता है। ऐसे में यूपी सरकार



द्वारा पुलिस को यह 'निर्देश' देना कि वह सुनिश्चित करे कि हर स्ट्रीट वेंडर या सड़क किनारे के रेस्तरां पर मालिक के नाम की तख़्ती लगी हो, जान-बूझकर समाज में विभाजन के बीज बोना था। सरकार का यह दावा अनुचित था कि यह आदेश केवल यह सुनिश्चित करने के लिए था कि यात्रा मार्ग पर क़ानून-व्यवस्था की कोई गड़बड़ी न हो। पिछले कुछ वर्षों में यात्रियों की खान-पान की आदतों को लेकर कांवड़ यात्रा में कोई विवाद होने का शायद ही कोई सबूत मिला हो। उलटे, सरकार की भेदभावपूर्ण फूड-राजनीति परेशानी का सबब बन

शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व हमेशा से इस देश की भोजन-कला का सूत्र रहा है। यहां किसी रेस्तरां का मूल्यांकन उसके मालिक के नाम नहीं बल्कि खाने की गुणवत्ता से होता है। ऐसे में यूपी सरकार द्वारा पुलिस को यह 'निर्देश' देना कि वह सुनिश्चित करे कि हर स्ट्रीट वेंडर या सड़क किनारे के रेस्तरां पर मालिक के नाम की तख्ती लगी हो, जानबूझकर समाज में विभाजन के बीज बोना था।

❊ अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो जबकि वो तुम्हें बुलाते हैं उस चीज़ की तरफ जिसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। (क़ुरआन) ❊ उस शख़्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाये और नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। (क़ुरआन)



हिन्दुस्तान के मशहूर दीनी-इल्मी, फिक्री और म्यारी अख़बार व रसाइल (पत्रिकाओं) का मुताला(अध्ययन)कीजिए

इस सिलसिले में हमारी ख़िदमात हासिल कीजिए :

पेपर – पत्रिका	प्रति कापी	सालाना खरीददारी
✪ कान्ति साप्ताहिक अख़बार	7/-	350/-
✪ कान्ति मासिक पत्रिका	30/-	350/-
✪ दावत उर्दू अख़बार साप्ताहिक	15/-	750/-
✪ जिंदगी–ए–नौ उर्दू महाना	35/-	400/-

सालाना खरीददारी व ग्राहक बनने के लिए राब्ता करें :

AL FALAH True Success Both Worlds

अल फलाह हक़ीक़ी कामयाबी दोनों जहानों में

अख़्तर नवाब ✆ 9926408118

सकती थी।

नेम-प्लेट लगाने का आदेश वास्तव में सामाजिक अलगाव को दर्शाने वाला था, जो यात्रा मार्ग पर आने वाले लोगों को मुस्लिम स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों के साथ किसी भी तरह के संपर्क से बचने के लिए प्रोत्साहित करता था। भला ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को अपने यहां आकर्षित करने की इच्छा रखने वाला कौन-सा स्टॉल मालिक ऐसा होगा, जो कांवड़ यात्रियों को ऐसा खाना परोसेगा, जो उनकी धार्मिक मान्यताओं के ख़िलाफ़ हो? कोई भी किसी को भोजनालय के बोर्ड पर 'शुद्ध' शाकाहारी लिखने से नहीं रोकता है, लेकिन किसी विशेष आहार के अनुरूप भोजन को प्रचारित करना धर्म के आधार पर दुकान-मालिक को अलग-थलग करने की कोशिशों से बहुत अलग है।

वर्ष 2024 के चुनावों में, भाजपा को यूपी में दलित-मुस्लिम-यादव-ओबीसी वोटों के एकीकरण का सामना करना पड़ा था, क्योंकि पार्टी जमीन पर समावेशी-एजेंडे को आगे बढ़ाने में विफल रही थी। अगर आज मुस्लिम दुकानदारों की आजीविका दांव पर है, तो कौन कह सकता है कि कल दलित या निम्न ओबीसी समुदाय निशाने पर नहीं होंगे? देश में स्ट्रीट फूड की खोज करते हुए स्वच्छता अक्सर ही चिंता का विषय रहती है, लेकिन यह कभी समुदाय-विशिष्ट नहीं होती। खाने की दुकान की स्वच्छता को उसके मालिक की धार्मिक पहचान से नहीं आंक सकते।

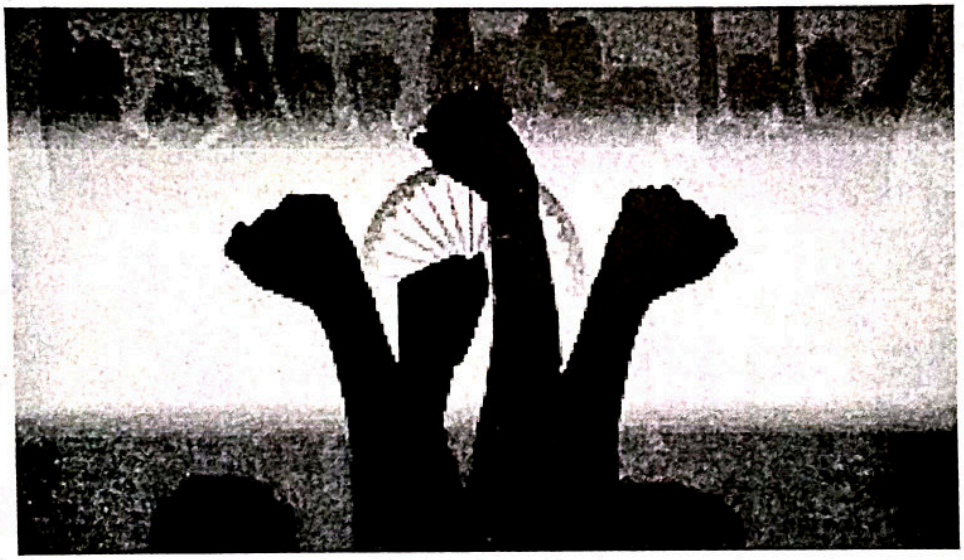

मानो इतना ही काफ़ी नहीं था तो मुस्लिम स्वामित्व वाली दुकानों को 'अशुद्ध' और 'अस्वच्छ' बताने वाला सोशल मीडिया अभियान भी चल पड़ा। यह एक सांप्रदायिक झूठ है। देश में स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड की खोज करते हुए स्वच्छता अक्सर ही चिंता का विषय रहती है, लेकिन यह कभी समुदाय-विशिष्ट नहीं होती। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खानपान की चीज़ों के गुणवत्ता-मानकों को बनाए रखा जाए; यह नहीं कि किसी खाने की जगह की स्वच्छता को उसके मालिक की धार्मिक पहचान से आंका जाए। कोरोना की पहली लहर के दौरान भी तब्लीग़ी जमाअत के हवाले से यह दुष्प्रचार फैलाया गया था कि मुसलमान कोरोना फैलाते हैं। इसके परिणामस्वरूप कई मुस्लिम सब्जी-विक्रेताओं को बहिष्कार का सामना करना पड़ा था।

मालूम होता है कांवड़ यात्रा की 'पवित्रता' की बात करके योगी सरकार ने कोर-वोटरों के बीच अपनी हिंदुत्ववादी साख़ को फिर से मज़बूत करना चाहा था। लेकिन बहुसंख्यक पहचान की राजनीति अब चुनावी सफलता का गारंटीकृत नुस्ख़ा नहीं रह गई है। 2024 के चुनावों में, भाजपा को यूपी में दलित-मुस्लिम-यादव-ओबीसी वोटों के एकीकरण का सामना करना पड़ा था, क्योंकि पार्टी ज़मीन पर समावेशी-एजेंडे को आगे बढ़ाने में विफल रही थी। जातिगत विभाजक-रेखाएं भी फिर से उभर रही हैं। अगर आज मुस्लिम दुकानदारों की आजीविका दांव पर है, तो कौन कह सकता है कि कल दलित या निम्न ओबीसी समुदाय निशाने पर नहीं होंगे? देश में स्ट्रीट फूड की खोज करते हुए स्वच्छता अक्सर ही चिंता का विषय रहती है, लेकिन यह कभी समुदाय-विशिष्ट नहीं होती। खाने की दुकान की स्वच्छता को उसके मालिक की धार्मिक पहचान से नहीं आंक सकते। ■■

(साभार : दैनिक भास्कर)

“ऐ लोगो! अपने रब का डर रखो, जिसने तुमको एक जीव से पैदा किया और उसी जाति का उसके लिए जोड़ा पैदा किया और उन दोनों से बहुत-से पुरुष और स्त्रियाँ फैला दीं। अल्लाह का डर रखो, जिसका वास्ता देकर तुम एक-दूसरे के सामने आपनी माँगें रखते हो। और नाते-रिश्तों का भी तुम्हें ख़याल रखना है। निश्चय ही अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है।” (क़ुरआन, 4:1)

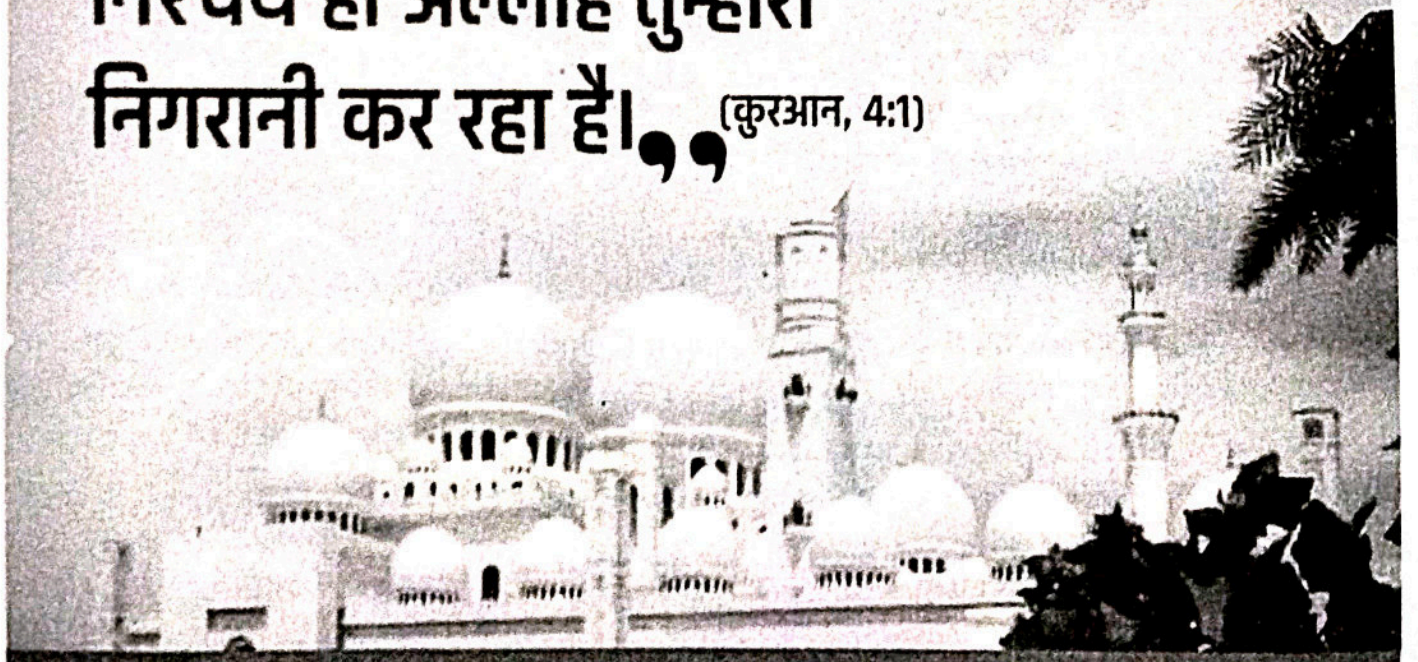

A Well Wisher Abdul Haque Khan Sb. (MP)



सामाजिक सुरक्षा के सवाल पर चुप्पी क्यों?

मंथन



डॉ. प्रदीप कुमार

बीते कुछ समय से केंद्र एवं औऱ राज्य सरकारों के छह करोड़ से अधिक कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को ख़त्म करने और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत पेंशन बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ओपीएस को केंद्र सरकार ने 2004 में वित्तीय बोझ का हवाला देते हुए ख़त्म कर दिया था। बाद में इसे राज्यों ने भी अपना लिया। संक्षेप में यदि कहा जाए तो काफ़ी योग्यता एवं कठिन प्रतियोगिता से निकलकर नौकरी में आने के बाद सरकारी विभाग में पूरा जीवन खपा देने वालों का 10 प्रतिशत वेतन कटौती के बाद भी बुढ़ापा असुरक्षित है।

देखा जाए, तो पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे की लाठी थी, जिसे 2004 में छीन लिया गया। इसकी जगह एक नई पेंशन योजना लागू की गई, जो कर्मचारियों के साथ सरासर अन्याय है। पुरानी और नई पेंशन योजना में फ़र्क़ स्पष्ट है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को जीपीएफ की सुविधा मिलती थी, जो नई में उपलब्ध नहीं है। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कटौती नहीं होती थी, पर नई पेंशन योजना में प्रतिमाह 10 प्रतिशत की कटौती की जाती है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर उनके वेतन का क़रीब 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था, जबकि नई पेंशन योजना में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत न सिर्फ़ सरकारी कर्मचारियों को बल्कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो एक दौर में कमाने वाला होता है, बुढ़ापे में उसे ठोस सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। मगर बड़े स्तर पर यह मुद्दा राजनीतिक विमर्श से बाहर है।

इसमें पेंशन कितनी मिलेगी, यह भी पूर्णतः बाज़ार के अधीन है। इसका भुगतान बाज़ार पर निर्भर करता है। वास्तव में यह अमेरिकी मॉडल पर आधारित योजना है, जिसे आम भाषा में निजी पेंशन कह सकते हैं। कभी-कभी तो पेंशन इतनी कम बन पाती है कि वे अपने मासिक बिल का भुगतान एवं दवा का ख़र्च भी नहीं निकाल पाते और वृद्धावस्था में छोटे-मोटे काम कर गुज़र-बसर करने के लिए मज़बूर होते हैं।

इसके अलावा भी बहुत सारे अंतर हैं पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में। फिर भी, इसे ज़बरदस्ती कर्मचारियों पर थोपा गया। पहले कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी इस उम्मीद पर करता था कि इसमें सबसे बड़ा

फ़ायदा यही है कि अपनी ज़िंदगी का क़ीमती वक़्त सरकार की सेवा में देने के बाद बुढ़ापे में दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा, पर सरकारों ने कर्मियों से उनकी यह उम्मीद छीन ली।

सेवानिवृत्ति के बाद जब शरीर साथ छोड़ने लगता है तब परिजन भी उनको बोझ समझ लेते हैं। आज एकल हो चुके समाज में उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सबसे ज़्यादा आर्थिक आवश्यकता है, जिससे वे आत्म-सम्मान के साथ पारिवारिक और सामाजिक ज़िम्मेदारियों को निभा सकें।

बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत न सिर्फ़ सरकारी कर्मचारियों को बल्कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो एक दौर में कमाने वाला होता है, बुढ़ापे में उसे ठोस सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। मगर बड़े स्तर पर यह मुद्दा राजनीतिक विमर्श से बाहर है। सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ निजी कामगारों को भी सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में लाने पर आमतौर पर विचार नहीं किया जाता।

देश में कर्मचारियों की दो श्रेणियां हैं–औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा मानदंडों के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें अन्य लाभों के अलावा नियमित मासिक वेतन, अवकाश और बोनस का भुगतान किया जाता है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन के पीएलएफ़एस (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण) के अनुसार, इन सभी श्रमिकों का अनुपात 10 फ़ीसदी से कम है। इनमें से आधे सरकारी निकायों में और शेष निजी क्षेत्र में हैं, जो आमतौर पर सेवानिवृत्ति की आयु तक काम करते हैं।

पीएलएफ़एस द्वारा श्रमिकों को तीन प्रकार से परिभाषित किया गया है–स्व-रोज़गार वाले, नियमित वेतन वाले और दैनिक वेतन वाले। नियमित वेतनभोगी श्रमिकों का एक छोटा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा का लाभ पाता है; जबकि अधिकांश स्व-रोज़गार, आकस्मिक वेतन पाने वाले और नियमित कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं है। कोविड और डिजिटल प्रगति ने एक नए शब्द को जन्म दिया है–गिग वर्कर। ये न कर्मचारी हैं, न नियोक्ता। इन्हें इनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर भुगतान किया जाता है। ये काम करने के लिए बाध्य नहीं हैं, न उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है। ये फ्रीलांसर होते हैं, जो प्रति घंटे या अस्थायी काम में संलग्न होते हैं।

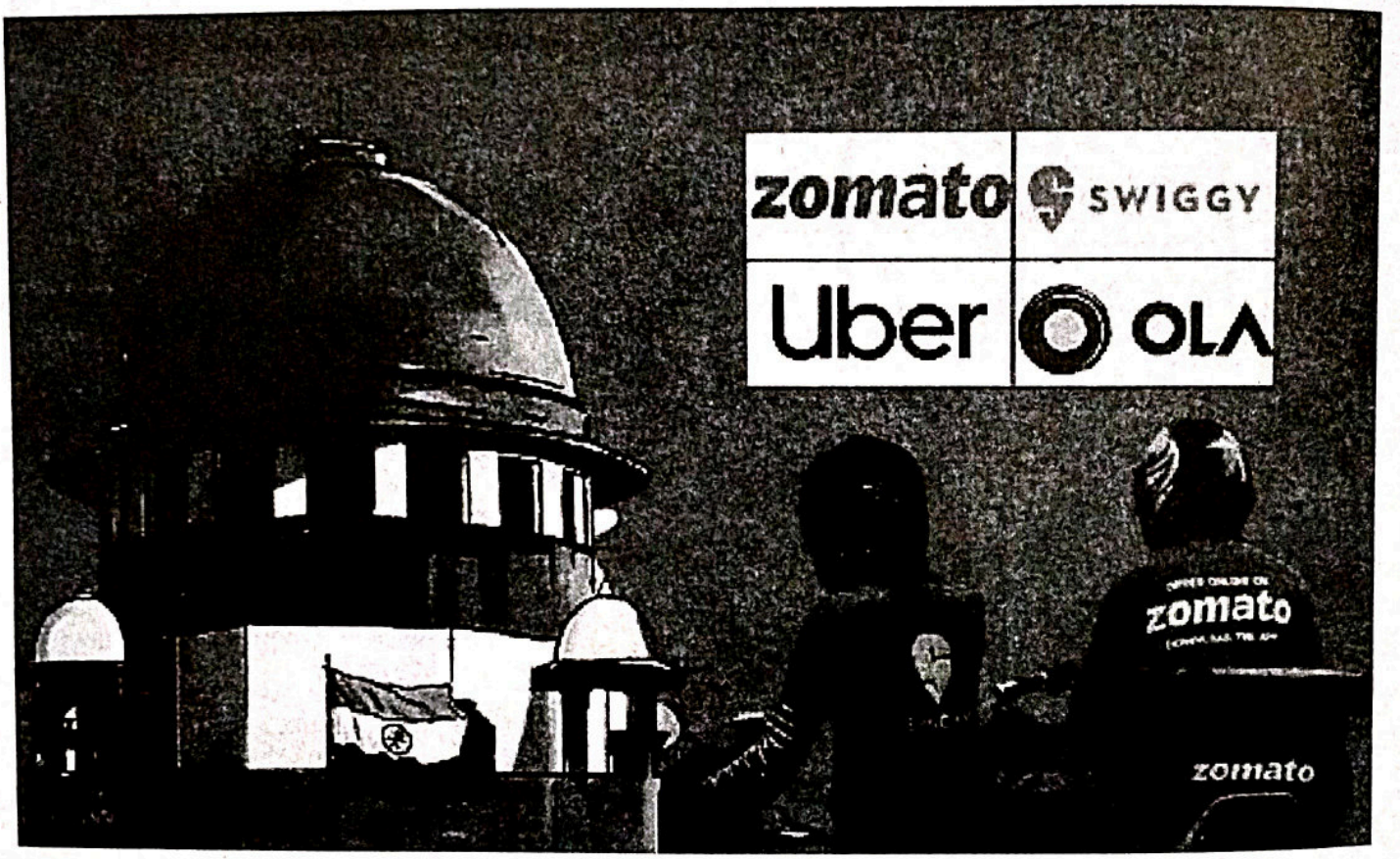

भारत सहित विकासशील देशों में स्व-रोज़गार में कार्यरत श्रमिकों की संख्या लगभग आधी है, शेष आधे में से एक-एक चौथाई आकस्मिक और नियमित वेतनभोगी कर्मचारी हैं। प्लेटफॉर्म कर्मचारी गिग श्रमिकों का एक उप-समूह है, क्योंकि ग्राहकों से जुड़ने के लिए ऐप या वेबसाइट का उपयोग किया जाता है। प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर परिवहन क्षेत्र (सवारी ऐप्स), डिलीवरी सेवा (खाद्य और किराना,

केंद्र सरकार या राज्य स्तर पर उकोई सामाजिक सुरक्षा नीति नहीं है। देश के 54 करोड़ श्रमिकों में से 91 फ़ीसदी मुख्य सामाजिक सुरक्षा के लाभों से वंचित हैं। देश में दशकों से श्रमिकों के लिए अलग से कल्याण बोर्ड बनाकर खंडित समाधान आज़माए गए, जोकि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से कारगर सिद्ध नहीं हुए। लिहाजा सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ सरकार को निजी कामगारों की भावनाओं को भी समझना ज़रूरी है। यदि सरकारें चाहती हैं कि लोग बुढ़ापे की चिंता छोड़कर पूरे मनोभाव से अपनी सेवाएं दें, तो उसे औपचारिक क्षेत्र के साथ-साथ सभी अनौपचारिक श्रमिकों को भी ठोस सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में लाना होगा।

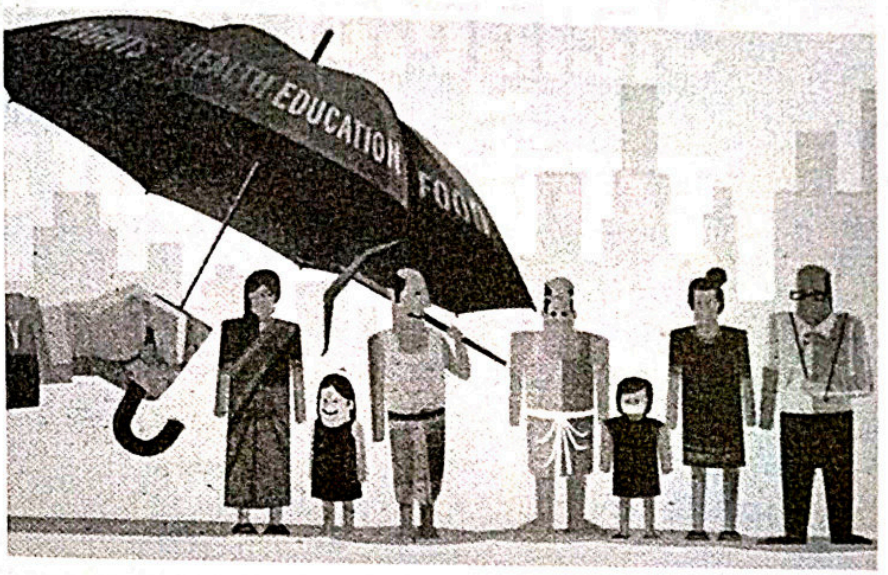

कूरियर, ई-बाज़ार सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल आदि); आईटीईएस (सामग्री निर्माता, मीडिया सेवा प्रदाता, डिजिटल विपणक, यूट्यूब विपणक, वेबसाइट डेवलपर्स, मोबाइल ऐप डेवलपर्स) आतिथ्य सेवाओं (जैसे क्लीनर, हाउसकीपिंग, लॉन्ड्री); पेशेवर सेवाओं (प्लंबर/इलेक्ट्रीशियन/बढ़ई/पेंटर; और जैसे शिक्षक/कोचिंग सेंटर/ऑडिटर परामर्श आदि) और लॉजिस्टिक सेवाओं (लॉजिस्टिक एप्स के माध्यम से) में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मचारी के, जो मुख्य रूप से डिलीवरी एजेंट या ड्राइवर हैं, जीवन में कोई विकास या कौशल नहीं होता है। ये लक्ष्य पूरा करने या अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए काम करते हैं।

गिग वर्कर्स के लिए अब तक ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है, क्योंकि अधिकांश श्रम क़ानून स्व-रोज़गार या आकस्मिक वेतन वाले श्रमिकों पर लागू नहीं होते। देश में पहली बार राजस्थान ने हाल ही में गिग श्रमिकों के लाभ के लिए एक प्लेटफॉर्म आधारित कल्याण बोर्ड का गठन करने के लिए क़ानून बनाया है। पर इसमें अनौपचारिक कार्यबल के विशाल बहुमत को शामिल नहीं किया गया है, जो पारंपरिक स्व-रोज़गार, आकस्मिक वेतन श्रमिक और अधिकांश नियमित श्रमिक हैं।

केंद्र सरकार ने ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से देश में असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया है, जो 28 करोड़ से अधिक पंजीकरण को पार कर गया है। केंद्र सरकार या राज्य स्तर पर उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नीति नहीं है। देश के 54 करोड़ श्रमिकों में से 91 फ़ीसदी मुख्य सामाजिक सुरक्षा के लाभों से वंचित हैं।

देश में दशकों से कई राज्यों में कल्याण बोर्ड और राष्ट्रीय स्तर पर निर्माण और बीड़ी श्रमिकों के लिए अलग से कल्याण बोर्ड बनाकर खंडित समाधान आज़माए गए, जोकि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से कारगर सिद्ध नहीं हुए। लिहाज़ा सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ सरकार को निजी कामगारों की भावनाओं को भी समझना ज़रूरी है। यदि सरकारें चाहती हैं कि लोग बुढ़ापे की चिंता छोड़कर पूरे मनोभाव से अपनी सेवाएं दें, तो उसे औपचारिक क्षेत्र के साथ-साथ सभी अनौपचारिक श्रमिकों को भी ठोस सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में लाना होगा।

■■

असंतुलन की बारिश में डूबती पर्यावरण की नांव



आज वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन की बहसें जारी हैं। दुनिया के तमाम देश स्वीकार कर रहे हैं कि आपसी सहमति के बिना हम पृथ्वी को नहीं बचा पाएंगे। हमने अंधाधुंध विकास की आड़ में उद्योग और इनसे जुड़े उत्पादों को जिस तरह से प्राथमिकता दी है, उससे पृथ्वी का सारा संतुलन चरमरा गया है। जानकारों का कहना है कि पृथ्वी आवश्यकताओं तक तो साथ दे सकती है पर इसका सुविधाओं के लिए अत्यधिक शोषण शायद ही इसे भाये। प्रकृति अब तेज़ी से हमारा साथ छोड़ रही है और कई रूपों में हमें डरा रही है। हमारे देश में इसका एक रूप वर्षा के असंतुलन के रूप में देखने को मिल रहा है।

भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों पर गहराई से चिंतन करें, तो स्थिति बेहद चिंताजनक है। देश के कुछ हिस्सों में पूर्वानुमान से कहीं अधिक वर्षा ने आफ़त मचाई, तो कुछ हिस्सों में किसान पानी के लिए तरस गए। सामान्य से अधिक

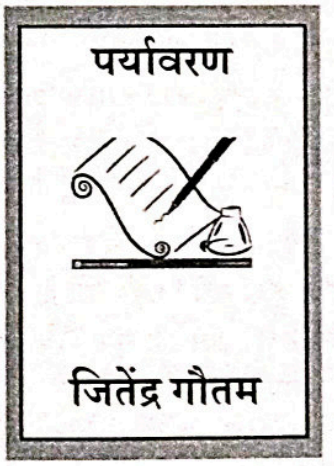

या सामान्य से कम, दोनों ही स्थितियां चिंता पैदा करने वाली हैं। मौसम विभाग सहित विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों के अध्ययनों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का पैटर्न निरंतर बदल रहा है, जिससे न केवल खेतीबाड़ी पर, बल्कि देश की आर्थिक, स्वास्थ्य और बढ़ती आपदाओं के कारण जनधन की सुरक्षा पर भी असर पड़ रहा है।

मौसम विभाग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इस साल के मानसून में एक जून से लेकर 21 जुलाई तक देश के 244 ज़िलों में सामान्य वर्षा हुई, जबकि 241 ज़िलों में सामान्य से कम। 42 ज़िलों में सामान्य से बहुत कम और 76 ज़िलों में सामान्य से अत्यधिक कम वर्षा दर्ज हुई है। 121 ज़िलों में सामान्य से थोड़ी अधिक वर्षा हुई है। उत्तर प्रदेश के पांच ज़िलों में अतिवृष्टि, नौ में सामान्य से अधिक, 27 में सामान्य, तो 27 ज़िलों में सामान्य से कम और छह ज़िलों में ज़बरदस्त सूखे जैसी स्थिति है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 49 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। पंजाब और जम्मू-कश्मीर में भी क्रमशः 46 प्रतिशत और 38 प्रतिशत की भारी कमी है और

ऐसा ही उत्तर प्रदेश में 34 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है। केरल के अलावा, अन्य दक्षिणी राज्यों में ज़्यादातर अधिक या सामान्य वर्षा हुई है।

मौसम विभाग ने सन 1989 से लेकर 2018 तक दक्षिण पश्चिम मानसून के जून से लेकर सितंबर तक के आंकड़ों के आधार पर 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में दर्ज मानसूनी वर्षा की परिवर्तनशीलता का जो विश्लेषण किया है, उसमें गत 30 वर्षों की अवधि में देश के विभिन्न हिस्सों में वर्षा के वितरण में भारी असमानता उजागर हो रही है। इस विश्लेषण में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय और नगालैंड में 1989-2018 के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा में काफ़ी कमी का रुझान दिखाया गया है। अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ इन पांच राज्यों में वार्षिक वर्षा में भी काफ़ी कमी का रुझान दिखाई देता है। विश्लेषण में भारी वर्षा वाले दिनों की आवृत्ति के संबंध में, सौराष्ट्र और कच्छ, राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी भागों, तमिलनाडु के उत्तरी भागों, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों और दक्षिण-पश्चिम ओडिशा के आसपास के क्षेत्रों, छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों, दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और मिजोरम, कोंकण और गोवा और उत्तराखंड में उल्लेखनीय वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में 'भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो देश में जलवायु चरम सीमाओं सहित क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में सतही वायु तापमान 1901-2018 के दौरान लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जिसके साथ ही वायुमंडलीय नमी की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। हिंद महासागर की सतह के तापमान में भी 1951-2015 के दौरान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। जलवायु परिवर्तनों के स्पष्ट संकेत भारतीय क्षेत्र में मानवजनित ग्रीनहाउस गैसों और एरोसोल फोर्सिंग के कारण उभरे हैं, और भूमि उपयोग और भूमि आवरण में परिवर्तन ने जलवायु चरम सीमाओं में वृद्धि में योगदान दिया है। इसलिए गर्म होते पर्यावरण और क्षेत्रीय मानवजनित प्रभावों के बीच पृथ्वी प्रणाली घटकों के बीच जटिल अंतःक्रियाओं ने पिछले कुछ दशकों में स्थानीय भारी वर्षा, सूखे और बाढ़ की घटनाओं आदि की तीव्रता में वृद्धि की है। वर्षा के बदलते पैटर्न के कई नकारात्मक प्रभाव सामने आ रहे हैं। इस बदलाव का सीधा असर कृषि पर हो रहा है।



वर्षा के पैटर्न में बदलाव से पानी की कमी की समस्याएं बढ़ सकती हैं। भारी वर्षा से ऊपरी उपजाऊ मिट्टी के क्षरण के कारण उर्वरता कम होती है। यह परिवर्तन विभिन्न तरीक़ों से सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। भारत के वर्षा पैटर्न में परिवर्तनों की भविष्यवाणी और प्रबंधन के लिए परिवर्तन के कारणों को समझना और उनकी निगरानी करना महत्वपूर्ण है। इस बदलते पैटर्न के प्रतिकूल प्रभावों के समाधान के लिए एकीकृत दृष्टिकोणों की आवश्यकता है, जिसमें जलवायु-लचीली कृषि, टिकाऊ जल प्रबंधन प्रथाएं, बाढ़ के जोखिमों को कम करने के लिए बुनियादी ढांचा विकास और बदलती जलवायु परिस्थितियों को नियंत्रित करने वाली नीतियों को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत भी यही कहता है कि जो लेना है, उसे लौटाना भी है।

आज सुविधा जुटाने की होड़ व पागलपन इस हद तक जा पहुंचा है कि हम जीवन के मूल्यों और आधारों से भी कहीं आगे आ चुके हैं। हम ग़लतियों को न तो सुधारने के पक्ष में हैं और न ही यह समझने के लिये तैयार हैं कि अत्यधिक सुविधाएं संकट का ही पर्याय होती हैं। भोगवादी जीवनशैली हमेशा पृथ्वी को नुक़सान ही पहुंचाएगी, यह हम सबकी समझ में आ जाना चाहिए।

मनुष्य ये भूल गया कि प्रकृति पर उसका नियंत्रण नहीं है। यदि अपने देश की बात करें, तो एक ओर बारिश का बढ़ता असंतुलन और दूसरी ओर धुंध व प्राण वायु की दुश्वारी हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही है। शायद यह कि प्रकृति जब भी बिगड़ेगी तो सबको ले डूबेगी। अब भी बहुत कुछ बचाया जा सकता है बशर्ते हम अपने विकास के वर्तमान मॉडल में मूलभूत परिवर्तन करें।

■■

गुज़ारे और गरिमा का प्रश्न

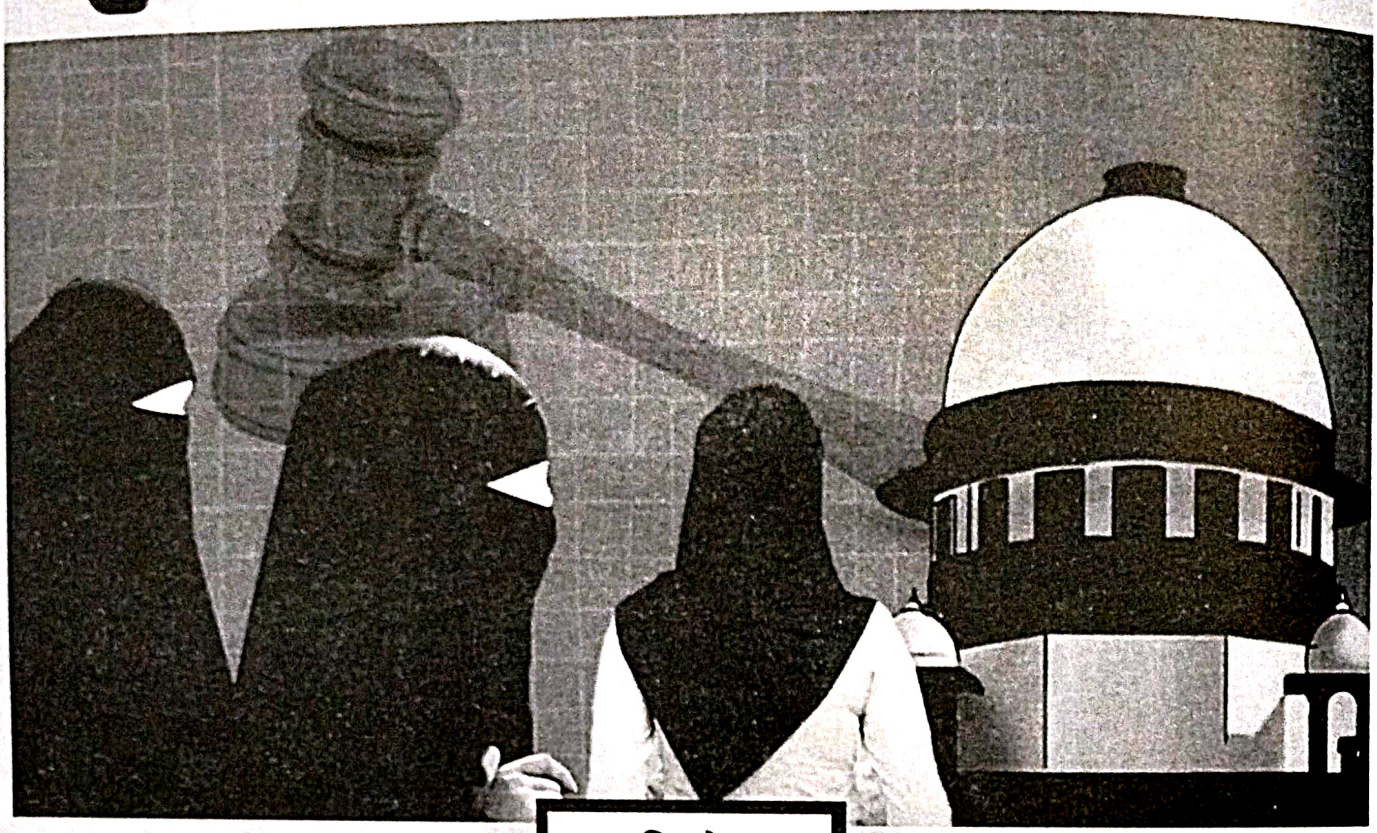

दृष्टिकोण



समी अहमद

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मुस्लिम महिलाओं के गुज़ारा भत्ता के बारे में जो फ़ैसला दिया है वह क़ानूनी दायरे से बाहर एक सामाजिक बहस का भी विषय होना चाहिए। यह फ़ैसला मोटे तौर पर यह कहता है कि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को तलाक़ देता है तो वह क़ानूनन उसे तब तक गुज़ारा भत्ता देगा जब तक कि वह महिला दूसरी शादी नहीं कर लेती है। हालांकि इसमें दोनों की आर्थिक स्थिति देखने का भी प्रावधान है।

अगर तलाक़शुदा महिला शादी नहीं करे तो पति को उसकी ज़िंदगी भर गुज़ारा भत्ता देना पड़ सकता है। यह बात तो सबको मालूम है कि इस्लाम में शादी एक अनुबंध है और अनुबंध टूटने के बाद किसी की कोई ज़िम्मेदारी एक दूसरे पर नहीं बनती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फ़ैसले और पुराने फ़ैसलों में मामला अलग होता है। यानी अनुबंध टूटने के बाद भी गुज़ारा भत्ता देना है।

> **“भारत जैसे देश में यह एक सामाजिक सच्चाई है कि महिलाएं तलाक़ के बाद बेसहारा हो जाती हैं। यह भी सही है कि अक्सर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पुरुषों के बराबर नहीं होती। और ज़्यादती की बात भी सही है।”**

इस फ़ैसले के बाद यह सवाल उभरता है कि महिलाओं के आत्म-सम्मान और उनकी आत्म-निर्भरता का क्या होगा? साथ ही यह सवाल भी है कि क्या यह पुरुषों पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा नहीं है कि जिस महिला को वह त्याग देता है उसकी ज़िम्मेदारी वह तब तक उठाता रहे जब तक कि वह दूसरी शादी नहीं कर लेती?

एक मज़बूत राय यह है कि अपने पूर्व पति से अपनी दूसरी शादी तक गुज़ारा भत्ता लेना महिलाओं के आत्म-सम्मान के विरुद्ध है। यह नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध लगता है और नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध किसी से भी कोई भत्ता लेना

आत्म-सम्मान के ख़िलाफ़ ही माना जाएगा। उस पुरुष से गुज़ारा भत्ता लेना जिसके साथ उसका गुज़ारा नहीं हो पाया कैसे उस महिला के सम्मान के अनुरूप माना जा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने यह ज़रूर कहा है कि यह ख़ैरात नहीं, बल्कि ऐसा जेंडर समानता के लिए ज़रूरी है। क्या इस पर बहस की जा सकती है कि जेंडर समानता का यह कैसा स्वरूप है कि शादी से अलग होने के बाद भी पूर्व पति को महिला को गुज़ारा भत्ता देना पड़े जिसके साथ उसका गुज़ारा नहीं हो सकता?

एक ऐसे दौर में जबकि महिलाओं

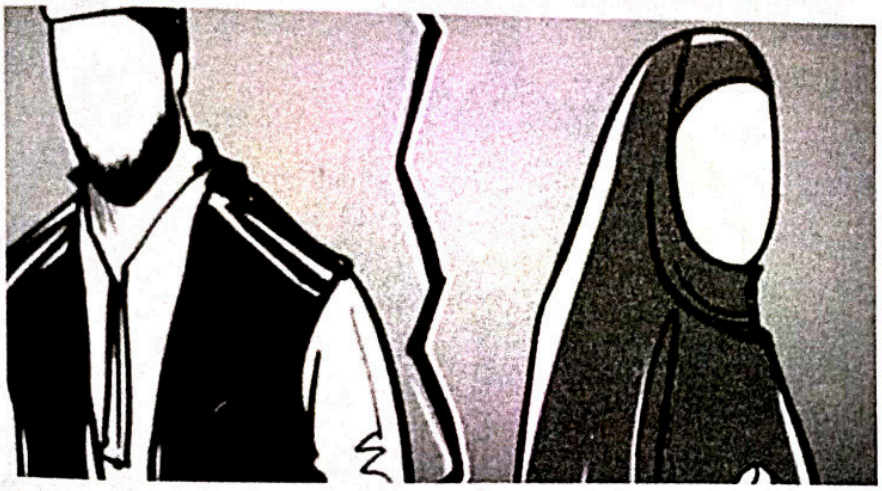

की आत्म-निर्भरता के लिए हर तरफ़ कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट का अगली शादी तक गुज़ारा भत्ता देने का यह फ़ैसला प्रतिगामी लगता है।

इस फ़ैसले की ख़ास बात यह है कि इसमें मुस्लिम महिलाओं का मामला सामने आया है और कोर्ट ने साफ़ तौर पर कहा है कि गुज़ारा भत्ता देने का मामला धर्म से बंधा नहीं है।

क्योंकि बात मुस्लिम महिलाओं की है इसलिए यह भी देखना पड़ेगा कि इस्लाम में शादी की व्यवस्था कैसी है। मोटे तौर पर इस्लाम में शादी के बाद पत्नी के भरण-पोषण, उसके रहने-सहने और दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी मर्दों की होती है। मिसाल के लिए बताया जाता है कि घर में खाना बनाने की ज़िम्मेदारी भी औरतों की नहीं और न बच्चों को दूध पिलाने की क़ानूनी ज़िम्मेदारी उस पर है। सुप्रीम कोर्ट या क़ानून के जानकारों से यह जानना दिलचस्प होगा कि दूसरे धर्म और दूसरी व्यवस्थाओं में यह ज़िम्मेदारी किसकी होती है?

अगर सुप्रीम कोर्ट यह कहे कि घर चलाने की ज़िम्मेदारी मर्द और औरत दोनों पर समान रूप से है तो भी यह ज़िम्मेदारी शादी ख़त्म होने के बाद कैसे जारी रह सकती है?

इस फ़ैसले की एक बड़ी समस्या यह है कि जैसे ही पति को यह लगेगा कि तलाक़ देने के बाद उसे दूसरी शादी तक मेंटेनेंस देना है तो वह तलाक़ देने से बचेगा और पति-पत्नी के बीच जो कड़वाहट रहेगी वह बढ़ती जाएगी।

वैसे तो तलाक़ को अप्रिय माना गया है लेकिन अपरिहार्य स्थिति में इसे ही बेहतर माना जाता है। कहीं अदालत और दूसरे लोग जो गुज़ारा भत्ता देने के पक्ष में हैं यह राय तो नहीं रखते कि इस तरह तलाक़ की दर को कम किया जा सकता है? सच्चाई यह है कि तलाक़ रोकने का यह तरीक़ा बेहद घातक सिद्ध

इसका हल यह है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में समाज और सरकार ज़्यादा धन और ध्यान लगाए। महिलाओं को इतना जागरुक किया जाए कि अगर वह घरेलू काम कर रही हैं तो उसके बदले मुआवज़ा लें। महिलाओं को चाहिए कि वह शादीशुदा होने के बाद भी अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर रखें और इसके लिए समाज और सरकार उन्हें मदद करे। ज़रूरी नहीं की हर महिला नौकरी ही करे और हर महिला के लिए नौकरी करना संभव भी नहीं। लेकिन नौकरी के अलावा कई ऐसे साधन हैं जिनसे महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर सकती हैं।

होता है और इसमें काफ़ी नुक़सान देखने को मिलता है।

एक सामान्य तर्क यह भी दिया जाता है कि गुज़ारा भत्ता इसलिए मिलना चाहिए कि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति अभी भी सामाजिक, आर्थिक , राजनीतिक और लैंगिक रूप से कमज़ोर है। समाज में आर्थिक रूप से अधिकांश महिलाएं आत्म-निर्भर नहीं है। इसलिए तलाक़ के बाद उनका जीवन-यापन एक बड़ी समस्या है। यह तर्क भी दिया जाता है कि चूंकि हमारे समाज में महिलाओं के साथ ज़्यादती होती है।

भारत जैसे देश में यह एक सामाजिक सच्चाई है कि महिलाएं तलाक़ के बाद बेसहारा हो जाती हैं। यह भी सही है कि अक्सर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पुरुषों के बराबर नहीं होती। और ज़्यादती की बात भी सही है।

लेकिन इन समस्याओं के लिए किसी पूर्व पति को कैसे ज़िम्मेदार माना जा सकता है? और इन सामाजिक परेशानियों को तलाक़ के बाद भत्ता देकर तो दूर नहीं किया जा सकता।

दो अलग-अलग समस्याएं हैं। एक समस्या यह है कि तलाक़ के बाद महिला का भरण-पोषण कैसे होगा और उसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी? दूसरी समस्या है कि हमारे समाज में महिलाओं के साथ इंसाफ़ नहीं होता और वह आर्थिक व सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं।

इसका हल यह है कि महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने में समाज और सरकार ज़्यादा धन और ध्यान लगाए। महिलाओं को इतना जागरूक किया जाए कि अगर वह घरेलू काम कर रही हैं तो उसके बदले मुआवज़ा लें। महिलाओं को चाहिए कि वह शादीशुदा होने के बाद भी अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर रखें और इसके लिए समाज और सरकार उन्हें मदद करे। ज़रूरी नहीं की हर महिला नौकरी ही करे और हर महिला के लिए नौकरी करना संभव भी नहीं। लेकिन नौकरी के अलावा कई ऐसे साधन हैं जिनसे महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर सकती हैं।

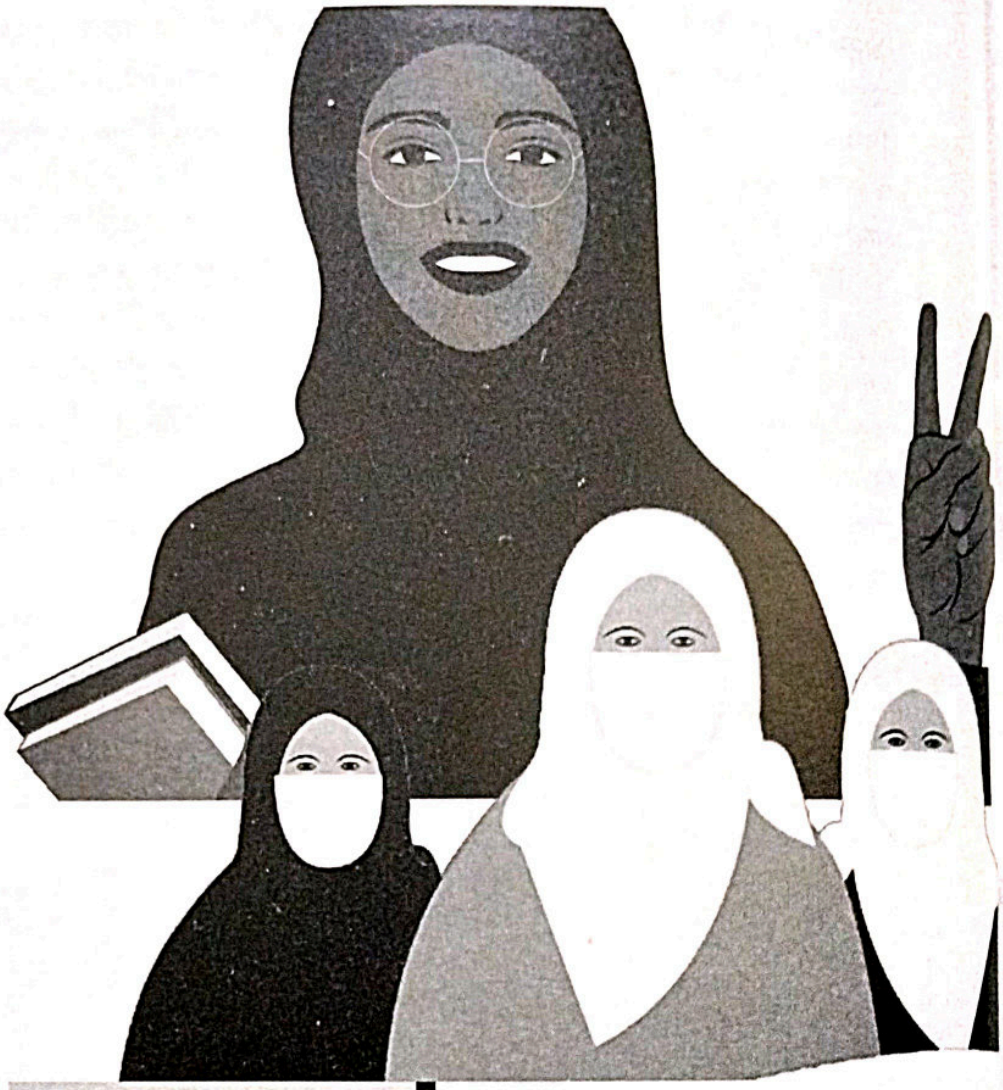

हर ज़रूरतमंद महिला की मदद करना सरकार की क़ानूनी ज़िम्मेदारी बनाई जाए। इससे तलाक़ के बाद महिलाओं को पेश आने वाली समस्या दूर होगी और उन्हें अपने आत्म-सम्मान से समझौता भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सरकार और समाज अपनी ज़िम्मेदारी को लेने के बजाय सारा बोझ पूर्व पति पर डालना चाहे तो यह इंसाफ़ नहीं और समस्या का सही हल भी नहीं।

इसके अलावा हर ज़रूरतमंद महिला की मदद करना सरकार की क़ानूनी ज़िम्मेदारी बनाई जाए। इससे तलाक़ के बाद महिलाओं को पेश आने वाली समस्या दूर होगी और उन्हें अपने आत्म-सम्मान से समझौता भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सरकार और समाज अपनी ज़िम्मेदारी को लेने के बजाय सारा बोझ पूर्व पति पर डालना चाहे तो यह इंसाफ़ नहीं और समस्या का सही हल भी नहीं। ■■

विचारणीय

क्यों...जवाब है ?

कल्पेश रावल



मैंने तीस दिन काम किया, तनख़्वाह ली-इनकम टैक्स दिया।

मोबाइल ख़रीदा-टैक्स दिया–

रिचार्ज किया टैक्स दिया, डेटा लिया टैक्स दिया, बिजली ली टैक्स दिया, घर लिया टैक्स दिया, टीवी-फ्रिज़ आदि लिये टैक्स दिया।

कार ली टैक्स दिया, पेट्रोल लिया टैक्स दिया।

सर्विस करवाई-टैक्स दिया, रोड पर चला टैक्स दिया, टोल पर फिर टैक्स दिया।

लाइसेंस बनवाया दिया टैक्स।

ग़लती की तो टैक्स दिया, रेस्तरां में खाया-टैक्स दिया, पार्किंग का टैक्स दिया, पानी लिया टैक्स दिया, राशन ख़रीदा टैक्स दिया, कपड़े ख़रीदे-टैक्स दिया, जूते ख़रीदे-टैक्स दिया।

किताबें लीं टैक्स दिया, टॉयलेट गया दवाई ली तो टैक्स दिया, गैस ली टैक्स दिया।

सैकड़ों और चीज़ें ली और-टैक्स दिया, कहीं फ़ीस दी, कहीं बिल, कहीं ब्याज दिया, कहीं जुर्माने के नाम पर, तो कहीं रिश्वत के नाम पर पैसे देने पड़े, ये सब ड्रामे के बाद ग़लती से सेविंग में बचा तो फिर टैक्स दिया-

सारी उम्र काम करने के बाद कोई सोशल सिक्युरिटी नहीं, कोई मेडिकल सुविधा नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, सड़कें ख़राब, स्ट्रीट लाइट ख़राब, हवा ख़राब, पानी ख़राब, फल-सब्ज़ी ज़हरीली, हॉस्पिटल महंगे, हर साल महंगाई की मार, आकस्मिक ख़र्चे व आपदाएं, उसके बाद हर जगह लाइनें।

सारा पैसा गया कहां? करप्शन में,

इलक्शन में,

अमीरों की सब्सिडी में, माल्या जैसों को भगाने में अमीरों के फ़र्ज़ी दिवालिया होने में,

स्विस बैंकों में,

नेताओं के बंगले और कारों में,

रहा-सहा विधायक ख़रीदने में, और हमें झंडू बाम बनाने में। अब किसको बोलूं कौन चोर है?

आख़िर कब तक हम सभी देशवासी यूं ही घिसटती ज़िन्दगी जीते रहेंगे? ■■

कान्ति साप्ताहिक और कान्ति मासिक के सभी पाठक

कृपया ध्यान दें!

अपना पूरा नाम : .....

पता : .....

पोस्ट ऑफिस : .....

डिस्ट्रिक्ट : .....स्टेट : .....पिन : .....

कांटेक्ट नंबर : .....

नीचे दिए गए व्हाट्सऐप नम्बर पर भेजने की मेहरबानी करें।

धन्यवाद!

व्हाट्सऐप नंबर : 98187 99223

नोट : अपना कांटेक्ट नंबर लिखना न भूलें।

इस दर्द से रहें दूर



(गैस की समस्या और पेट में दर्द आजकल आम है, लेकिन अगर लगातार रहे तो यह आम दर्द नहीं, बल्कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो सकता है।)

क्या आपको भी समय-समय पर दर्द, ऐंठन दस्त बार-बार पेशाब लगना और जलन जैसी पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? आप इन समस्याओं पर अधिक ध्यान नहीं देते और इसे आम समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन सावधान हो जाएं, यह भी आपकी सेहत से जुड़ी एक समस्या है, जिसे गैस्ट्रोटेस्टाइनल डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। जानकारों के अनुसार, गैस्ट्रोटेस्टाइनल डिसऑर्डर में पेट, छोटी आंत या बड़ी आंत में इंफेक्शन हो सकता है। इसके मुख्य लक्षणों में पेट में दर्द, ऐंठन, उल्टी, पाख़ाने में ख़ून आना और डिहाइड्रेशन हो सकते हैं और आपका बलड प्रेशर कम हो सकता है। लंबे समय तक नज़रअंदाज़ करने पर आंतें कमज़ोर हो सकती हैं और किडनी में ख़राबी भी आ सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि सही समय पर इसका इलाज कराया जाए।

(अगर आप खाना कम खाते हैं, लेकिन फिर भी पेट हमेशा भरा-भरा महसूस होता है, तो इस बात को हल्के में न लें।)

सेहत

संपादन प्रभाग

“गैस की समस्या और पेट में दर्द आजकल आम है, लेकिन अगर लगातार रहे तो यह आम दर्द नहीं, बल्कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो सकता है।”

पेट में ऐंठन : पेट में दर्द होना कोई आम बात नहीं है। यह हमेशा ही पेट से जुड़ी दिक़्क़तों की ओर संकेत करता है। अगर आपको खाना खाने के बाद पेट में दर्द और ऐंठन होती है तो यह क्रोहन रोग का एक लक्षण हो सकता है। पाचन तंत्र की परत में सूजन के कारण होता है, जिससे पेट में तेज़ दर्द और ऐंठन बढ़ सकती है।

नाभि में चुभन : अगर नाभि में दर्द होता है तो यह यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (यूटीआई) का एक लक्षण हो सकता है। यह परेशानी महिलाओं और बच्चों में अधिक देखी जाती है। यूटीआई के अन्य संकेतों में पेट में दर्द, दबाव महसूस करना और यूरिन पास करते वक़्त दर्द व जलन हो सकती है।

सूजन महसूस हो : अगर आपको पेट का कोई भाग उभरा हुआ या पेट में सूजन महसूस होती है और यह अक्सर कुछ खाने के बाद ज़्यादा महसूस होती है तो यह पेट की कोशिकाओं में इंफेक्शन या हर्निया हो सकती है। ऐसे में आपको तुरंत पेट के डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।

ऊपरी व निचले भाग में : पेट के ऊपरी भाग में दर्द महसूस होने का एक

कारण गॉलब्लैडर स्टोन भी हो सकता है। वहीं पेट के निचले भाग में दर्द होना एपेंडिसायटिस का लक्षण हो सकता है। ये दोनों ही दर्द असहनीय होते हैं, जिससे आपको उल्टी और शरीर में दर्द हो सकता है।

लंबे समय से दस्त : अगर लंबे समय से दस्त आ रहे हैं तो इसका कारण इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, या फिर पेट में किसी तरह का इंफेक्शन हो सकता है। इसका कारण फूड एलर्जी भी हो सकती है।

भूख लगने पर : सामान्य या तेज़ भूख में अगर पेट दर्द महसूस होता है तो यह पेट के

अगर आप खाना कम खाते हैं, लेकिन फिर भी पेट हमेशा भरा-भरा महसूस होता है, तो इस बात को हल्के में न लें।



अल्सर के कारण हो सकता है। इसमें कुछ भी खाने पर पेट में दर्द और जलन महसूस होती है।

पेट भरा महसूस होना : आप तो कम खाते हैं, लेकिन आपको पेट हमेशा भरा-भरा महसूस होता है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह अल्सर और गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स बीमारी के कारण हो सकता है। गंभीर स्थिति में यह ओवेरियन कैंसर का एक लक्षण भी हो सकता है, जो महिलाओं में सबसे अधिक होने वाले कैंसर में से एक है।

बचाव के उपाय: गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर की समस्याओं से बचने के लिए घर पर बना साफ़ और स्वच्छ भोजन ही खाएं। जितना हो सके बाहर के खाने और जंक फूड का सेवन न करें। साथ ही दूषित जल का बिल्कुल उपयोग न करें, न खाना बनाने के लिए और न ही पीने के लिए। पीने और खाना बनाने के लिए वाटर प्यूरीफायर के पानी का ही इस्तेमाल करें। घर में लाई गई सब्ज़ियों और फलों को स्वच्छ जल से धोकर ही खाएं। अगर लंबे समय तक यह समस्या रहती है, जैसे तेज़ बुखार या दस्त तो डॉक्टर की सलाह पर कुछ एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इस समस्या से राहत पाने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ आदतों को अपनाना होगा। जैसे की समय पर भोजन, भरपुर मात्रा में पानी पीना एवं एक्सरसाइज़ आदि।

पानी भरपूर मात्रा में पिएं : क़ुदरत द्वारा हमें प्रदान किया गया पानी हमारे लिए बहुमूल्य है। ज़्यादातर लोग दिनभर में बहुत कम पानी पीते हैं। हमें एक दिन में लगभग 2 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो आप इसे अधिक पानी पीकर भी काफ़ी हद तक मज़बूत कर सकते हैं। इससे शरीर में पानी की पूर्ति तो होती ही है, साथ ही भोजन पचने में भी आसानी होती है।

फास्ट फूड को ना कहें : यदि आप चाहते हैं कि आपको गैस की समस्या न हो तो फास्ट फूड को हमेशा न खाएं। जितना हो सके फास्ट फूड को ना कहें। अपने रोज़ाना के खाने में भी तेल-मसाले की मात्रा थोड़ी कम रखें, हो सके तो खाने के अंत में दही का सेवन करें। यदि खाना अधिक तेल-मसाले से भरा है तो दही को अवश्य ही अपने खाने में शामिल करें इससे आपको पचाने में आसानी होगी। साथ ही अपने भोजन में फाइबर युक्त पदार्थों को शामिल करें। ■■

कंजिया

कहानी

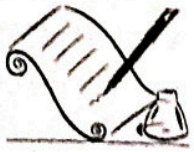

नरेश कौशिक

कंजिया ने सिर पर बंधा मुरैठा उतारा और सड़क पर खड़े हाथ ठेले का सहारा लेकर माथे का पसीना पोंछा। पजामे की जेब से खैनी की डिब्बी निकाली और हथेली पर मसलने लगा। खैनी को चुटकी में भरा और मुंह में एक ओर दबा लिया।

अभी-अभी सदर बाज़ार से माल लेकर आया था। एक गट्ठर में पांच सौ साड़ियां होती हैं और सदर से नई सड़क तक आते-आते आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। उसने प्याऊ पर जाकर पानी पीया और फिर से आकर 'शिवसागर साड़ी हाउस' के बाहर पटरी पर बैठ गया। भूख के मारे दम निकल रहा था। तीन बजने को थे, लेकिन अभी तक टाइम ही नहीं मिला था कि पेट में कुछ डाल सके।

"कंजिया! कंजिया!" शोरूम के भीतर से लालाजी की आवाज़ सुनाई दी।

वह उठा और दौड़ते हुए शोरूम के दरवाज़े को धकेलकर भीतर पहुंचा। भीतर कैसा स्वर्ग था! ठंडी हवा वाली मशीन चल रही थी। एक नहीं पांच-पांच, वह हाथ बांधकर जा खड़ा हुआ।

"जा, ये मैडम का सामान ज़रा गाड़ी में रखवा के आ। गाड़ी हरदयाल लाइब्रेरी की पार्किंग में है।"

उसने बिजली की गति से साड़ियों के भारी-भारी पैकेट सिर पर रखे और कुछ पैकेट हाथ में उठा लिये। भीतर-ही-भीतर वह बड़ा ख़ुश हुआ।

'हो सकता है, मेम साहब, कुछ बख़शिश दे दें और ऐसा करूंगा कि आते हुए सीसगंज गुरुद्वारे की ओर से निकलकर आ जाऊंगा। लंगर में कुछ खा लूंगा।'

मन-ही-मन हिसाब लगाते हुए वह मेम साहब के पीछे-पीछे चलने लगा। मेम साहब भारी बदन की महिला थी, गोरी-चिट्टी, लंबी-तगड़ी।। धीरे-धीरे क़दम उठा रही थी, लेकिन कंजिया पर लगातार बरस रही थी, "अरे! ज़रा जल्दी क़दम बढ़ाओ, अभी चार बजने वाले हैं, फिर सड़कों पर ऑफ़िस का ट्रैफिक हो जाएगा। चांदनी चौक से ग्रेटर कैलाश जाना कोई आसान काम थोड़े ही है।"

मेम साहब के मिज़ाज से बख़्शिश की उसकी उम्मीद जाती रही। गाड़ी में साड़ियों के पैकेट रखवाकर वह लगभग दौड़ते हुए फव्वारे की तरफ़ से निकलकर सीसगंज गुरुद्वारे पहुंचा और पंक्ति में बैठ गया। उसके जैसे और भी बहुत सारे मज़दूर पंक्ति में बैठे खा रहे थे। कंजिया ने जल्दी-जल्दी रोटियां हलक से नीचे उतारीं और दुकान की ओर दौड़ पड़ा। वह चाहता था, शाम तक जितने ज़्यादा गट्ठर ढोए जा सकें, उतना अच्छा है। एक गट्ठर पहुंचाने के पांच रुपए मिलते थे। दिनभर में 20 गट्ठर तो उठाने को मिल ही जाते थे। यानी दिनभर में सौ रुपए बन जाते। रोटियां तो गुरुद्वारे में खा ही लेता था, तो खाने का ख़र्चा बच जाता।

गांव सिबनिया, ज़िला सीतामढ़ी, बिहार। यही था कंजिया का पता। इतनी-सी ही थी उसकी पहचान।

साल 2002 में इंद्र देवता इतने नाराज़ हुए कि पूरा गांव तो क्या, पूरा ज़िला और पूरा बिहार ही डूब गया। ज़मींदारों की सब फसल चौपट हो गई। फसल ही चौपट हो गई तो कंजिया को भी कोई काम-धाम नहीं मिला और घर में खाने के लाले पड़ गए। कच्चे मकान की आधी-आधी दीवारें पानी में डूब गईं। किसी तरह घरवाली और दो बच्चों को लेकर कंजिया पीपल के पेड़ पर जा चढ़ा और हफ़्ता भर वहीं बैठा रहा। दूर-दूर तक पानी-ही-पानी! उसे ये सोचकर तसल्ली थी कि एक अकेला वहीं बेघर नहीं हुआ था, उसके जैसे सभी लोगों का यही हाल था।

कुछ दिन बाद पानी तो उतर गया, लेकिन फिर बीमारियों ने घेर लिया। उसका चार साल का बच्चा शरीर में पानी की कमी के कारण चल बसा। छह साल की एक लड़की ही बची रही। इसी बीच, गांव के ही कुछ लोगों के साथ कंजिया काम की तलाश में दिल्ली आ पहुंचा।

"अहां हमर फ़िकर नै करू, अपन

ख़याल राखू। पेट सेछि, बच्चा हुअ तक अपन मां के घर रहब त ठीक रहत। अंइठम त घर द्वार सब डूब गेल छै," घर से चलते हुए कंजिया ने घरवाली से कहा था। (हमारी फ़िक्र मत करना, अपना ख़याल रखना। पेट से हो, बच्चा होने तक अपनी मां के यहां रहोगी तो ठीक रहेगा। यहां तो सब डूब ही गया है।)

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने इतना बड़ा बाज़ार देखकर वह घबरा गया। यह चांदनी चौक था। कहते हैं, कोई बादशाह था शाहजहां। उसी ने बसाया था यह बाज़ार। कंजिया पहली बार चांदनी चौक के ठाठ देखकर दंग रह गया था। एक-से-एक खाने-पीने की दुकानें। एक-से-एक बढ़िया कपड़ा-लत्ता, चमचमाता जूता। क्या-क्या नहीं था चांदनी चौक में!

उसके नाना ने बचपन में एक बात बताई थी। वही बात अचानक उसे याद हो आई। "एक सहर छै दिल्ली। वौय ठम छै चांदनी चौक। बताइल जाइछै कि चांदनी चौक में ऐहन-ऐहन ठग रहैत छै, जे अनजान व्यक्ति के अंधेर गली में ले जाकर लूट लैय छै। ऐहन भूल-भुलैया गली कि अजनबी हेरा जाए त ज़िंदगी भर नै निकल पाइत।" एक शहर है दिल्ली। वहां एक है चांदनी चौक। चांदनी चौक में ऐसे-ऐसे ठग रहते बताए जाते हैं कि अनजान आदमी को अंधेरी गलियों में ले जाकर लूट लेते हैं। ऐसी भूल-भुलैया गलियां हैं कि अजनबी खो जाए तो जिंदगीभर ना निकल सके।)

...

बच्चा साल भर का हो गया था, तब तो कहीं जाकर उसे ख़बर मिली थी। उसके गांव का ही कोई आदमी दिल्ली आया था, रोज़गार की ख़ातिर। वो ज़माना अलग था। अब तो मोबाइल फ़ोन आ गया है। चाहो तो सारा दिन मेहरारू से बतियाते रहो। पर इतना बख़त कहां धरा है! रोज़ पांच बजे उठना और उसके बाद तो चांदनी चौक की गलियां, सदर बाज़ार, तुर्कमान गेट और दरियागंज तक जो दौड़ होती तो रात को 12 बजे ही कमर ज़मीन पर लगती थी।

पिछले 12 साल में वह चार बार ही गांव गया था। लड़की ब्याह लायक़ हो चुकी थी और लड़का अभी चौथी क्लास में था। कंजिया को लड़की की ही चिंता थी।

...

कंजिया अपने मुर्दा पैरों को घसीटते हुए आगे बढ़ा। उसने गट्ठर नहीं उठाया। सीधा शोकेस में सजे बुतों की ओर बढ़ गया। शोकेस में हर रोज़ की तरह लहंगे-चोली और ओढ़नी में बुत दुल्हन से सजे खड़े थे। कंजिया एक बुत के पास जा खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ फैलाए और एक बुत को कसकर कंधों से पकड़ लिया। बुत को सीने से लगाकर ज़ोर से भींच लिया और...शोरूम उसके रुदन से थर्रा उठा।

सीसगंज गुरुद्वारे से निकलकर कंजिया परांठे वाली गली से होते हुए, बल्लीमारान में ग़ालिब की हवेली जा पहुंचा और भीतर-ही-भीतर गलियों से निकलते हुए नई सड़क पर आ गया, शोरूम के सामने। उसे कोई चार मिनट लगे होंगे।

"कंजिया! अबे कहां मर गया था? जा, ये गट्ठर सदर बाज़ार पहुंचाने हैं। और हां, ज़रा जल्दी आना।"

दिनभर दौड़ते-दौड़ते वह थककर चूर हो चुका था। लाला ग़ुस्से वाला, लेकिन थोड़ा रहम दिल था। शाम छह बजे शोरूम के कर्मचारियों को एक प्याली चाय और एक मठरी मिलती थी। कई साल से लाला के यहां दिहाड़ी पर काम करते-करते एक चाय और एक मठरी उसे भी मिलने लगी थी। चाय पीने के बाद उसे कुछ आराम मिला। उसने खैनी रगड़कर फिर से मुंह में दबा ली तो उसकी बाक़ी थकान भी जाती रही। शोरूम बंद होते-होते रात के दस बज गए। लाला लोग तो बड़ी-बड़ी कारों में जाएंगे। कंजिया भी बाक़ी मज़दूरों की तरह थका-हारा चल पड़ा, सीसगंज गुरुद्वारे की ओर।

नई सड़क पर साड़ियों-सूटों के बड़े-बड़े शोरूम थे। औरतों के पुतले सुंदर-सुंदर लहंगा-चोली पहने दुकानों के शोकेस में खड़े थे। लहंगा-चोली और चुनरी इतनी ख़ूबसूरत थीं कि ऐसा लगता, पुतला अभी बोल पड़ेगा! ज़्यादातर लाल रंग के लहंगा-चोली थीं। कोई गुलाबी, गाजरी, गोल्डन, पीला, नीला और हरे रंग का भी था। उन पर सलमा सितारे जड़े थे।

...सुंदर-सुंदर कसीदाकारी थी, फूल-पत्तियां कढ़ी थीं...किसी पर ज़रदोज़ी का काम था तो किसी पर पारसी कढ़ाई, किसी पर दबके का काम था तो कोई तारकशी का। हर चीज़ इतनी सुंदर थी कि कंजिया की शुरू में तो आंखें ही चुंधिया गई थीं।

कंजिया अब चांदनी चौक की मेन सड़क पर आ गया था। एक छोर पर लालक़िला दिख रहा था, तो दूसरे छोर पर फ़तेहपुरी मस्जिद।

"अरे भैया! कहते हैं, किसी ज़माने में यहां छोटी-सी नहर बहती थी। एक छोर से दूसरे तक। मुग़ल बादशाह की

बेगमें और शाहज़ादियां पालकियों में बैठकर आती थीं ख़रीददारी करने। हीरे-जवाहरात बिकते थे इस बाज़ार में।" कमरू ने अपनी समझ और ज्ञान बघारने की कोशिश में कहा।

"सैंकड़ों साल पुराना है चांदनी चौक। बीचोंबीच बहती नहर में जब चांदनी रात में चांद का अक्स पड़ता था तो कहते हैं कि नहर की ख़ूबसूरती के आगे मल्लिकाओं का भी हुस्न शरमा जाता था। इसीलिए तो इसे चांदनी चौक कहते हैं।" कंजिया ने कहा।

वह भी इतने सालों में चांदनी चौक के बारे में बहुत कुछ जान गया था।

"अरे रामभज, चांदनी चौक ने बड़े-बड़े मंज़र देखे हैं। वो तुम्हें नादिरशाह का क़िस्सा नहीं मालूम? कैसे ज़ालिम ने फ़तेहपुरी मस्जिद पर खड़े होकर तबाही मचाई थी! चांदनी चौक की गलियां लाशों से पट गई थीं। ऐसा क़त्लेआम, कहते हैं कि दिल्ली ने कभी नहीं देखा।" कमरू ने बीच में ही टोक कर कहा।

इन्हीं ख़यालों में खोए हुए कंजिया चला जा रहा था। शोरूमों के शटर गिर रहे थे। लाइटें बंद हो चुकी थीं और अब केवल बुतों के लहंगों के सितारे अंधेरे में चमक रहे थे। कल फिर से ये बुत ऐसे ही चमक लिये फिर सजे-धजे नज़र आएंगे। कस्टमरों को लुभाते हुए। वह सीसगंज गुरुद्वारे में गया और पंक्ति में बैठ गया।

•••

"सुनु, बिन्नी के मामा एक लड़का बतैयलक, अहां एक बार आकर रिश्ता पक्का कैर जैती, त ठीक रहैत।"

(सुनो, बिन्नी के मामा ने एक लड़का बताया है। यहां आकर एक बार रिश्ता पक्का कर जाते तो ठीक रहता) फ़ोन पर दूसरी ओर कंजिया की घरवाली थी।

"मामा स कहु, ख़ुद ही देखभाल क रिश्ता पक्का क लेथिन्ह" उसने कहा।

(मामा से कहो, ख़ुद ही देखभाल के रिश्ता पक्का कर दें)।

"हम कोई सीतामढ़ी में थोड़े ही बैठल छि कि बस में बैठकर पहुंच जाएब चार घंटे में सिबनिया! दिल्ली से सीतामढ़ी क ट्रेन क भाड़ा अतैक छि कि जे दू पैसा बचैलिय, उहो सब हवा भ जाईत। अपन भाई से कहु, सब देखभाल कर तय क लेत।"

(हम कोई सीतामढ़ी में थोड़े ही बैठे हैं कि बस पकड़कर चार घंटे में सिबनिया पहुंच जाएं! दिल्ली से सीतामढ़ी का भाड़ा इतना है कि जो दो पैसे बचाएं हैं, वे भी सब हवा हो जाएंगे। अपने भाई से कहो, सब देखभाल करके ख़ुद ही तय कर ले।)

"अहां क जे ठीक लगे।" (जैसे तुम्हें ठीक लगे) घरवाली दबी ज़बान में बोली।

"ये लिये, ज़रा बिन्नी अहां स बात करै चाहै छै।"(ये लो, ज़रा बिन्नी बात करना चाहती है।)

"पिताजी, हमर सहेली छै न ठाकुर जी के पोती। उ कहै छैलेजे, चांदनी चौक में शादी-ब्याह क लहंगा बहुत ए गजब मिलैत छै। हमर भी अपन ब्याह में उह पेहिन के मन य। अहां जहिया आयब, त ज़रूर लायब।"

(पिताजी, हमारी सहेली है ना ठाकुरजी की पोती। वो कह रही थी कि चांदनी चौक में शादी-ब्याह का लहंगा बहुत ग़जब का मिलता है। हमारा भी ब्याह में वही पहनने का मन है। यहां जब आओ तो लहंगा ज़रूर लाना।)

कंजिया ने बिन्नी के ब्याह के लिए ही तो सब जोड़ जमा किया था, पर कभी लहंगे-चोली का ख़याल नहीं आया। "बिन्नी कितनी सुंदर लग रही है लहंगा चुन्नी में! एकदम परी जैसी।" बिन्नी ने सुहाग का वही जोड़ा पहना था, जो कंजिया चांदनी चौक से लेकर आया था। कंजिया ने बेटी के सिर पर दुलार से हाथ रखा और अचानक उसकी नींद टूट गई। जमुना बाज़ार की झुग्गी में लेटे-लेटे वह बिन्नी के ब्याह के बारे में सोचता रहा। उसके अगल-बगल चार-पांच साथी मज़दूर सो रहे थे। रातभर को पैर पसारने के लिए उसे पांच सौ रुपया महीना देना पड़ता था।

कंजिया ने अब तो ठान लिया था कि बेटी के लिए सुहाग का जोड़ा चांदनी चौक से ही लेकर जाएगा, पर उसे तो पता ही नहीं था कि सुहाग जोड़े की क़ीमत कितनी होगी? साड़ियों के शोरूम में मज़दूरीभर करता था कंजिया। उसे तो लहंगे तो क्या, नए कपड़े तक को छूने का मौक़ा नहीं मिला था। इन्हीं ख़यालों में खोया हुआ कंजिया जमुना बाज़ार से नई सड़क पहुंच गया। आज सीसगंज गुरुद्वारे जाकर उसका खाने का मन नहीं हो रहा था। दिमाग़ में सुहाग का जोड़ा ही घूम रहा था।

"कंजिया! ये ज़रा बुतों को शोकेस में लगा दे और मैनेजर से लेकर इनके जोड़े बदल दे।"

कंजिया को अपने कानों पर यक़ीन नहीं हुआ! बुतों के कपड़े बदलने वाला रमेश आज आया नहीं था और इसीलिए परमात्मा ने उसकी सुन ली। उसने ऊपर की मंज़िल पर जाकर मैनेजर से चार नए जोड़े लिये।

और नीचे आकर बुतों को संवारने लगा।

'कैसा नरम मुलायम रेशमी कपड़ा था! छूने भर से फिसल जाए! रंग-बिरंगे सलमा सितारे, चमकीला गोटा, मोतियों की झालर।' कंजिया ने मन-ही-मन सोचा। बुत को सजाकर उसने चुनरी ओढ़ाई और अचानक उसका हाथ बुत

के सिर पर आशीर्वाद के लिए उठ गया। अब तो बिन्नी उसे बार-बार याद आने लगी।

"मैनेजर बाबू, एक सुहाग जोड़े की क्या क़ीमत होगी भला?" कंजिया हिम्मत करके पूछ ही बैठा।

"हा हा हा!" मैनजर बाबू ख़ूब ज़ोर से हंसे।

"अरे कंजिया! ज़िंदगी-भर मज़दूरी करता रहेगा तो भी सुहाग जोड़े की क़ीमत जितना पैसा नहीं जुटा पाएगा। भइया, ये जोड़े महलों वालियां पहनती हैं, तुम तो ख़ुद को ख़ुशक़िस्मत समझो कि तुम्हें यह सब देखने भर को मिल रहा है।"

कंजिया महीनाभर में कमाता था दो-ढाई हज़ार रुपया, पांच सौ रुपया झोपड़ी का किराया, पांच सौ रुपया ऊपर से ख़र्चा, कुछ दवा-दारू में निकल जाता था। रोटी का जुगाड़ तो गुरुद्वारे में था ही, लेकिन इस सबके बावजूद किसी तरह पेट पर पट्टी बांधकर कंजिया सात-आठ सौ रुपए ही बचा पाता था।

"बिटिया बड़ी हो गई है। लगन करना है। चांदनी चौक का सुहाग जोड़ा पहनने की इच्छा है बिटिया की!" कंजिया ने मायूसी से कहा था।

"तुम्हें लहंगा चोली लेना है तो बाहर पटरी बाज़ार से देख लेना, छह-सात सौ का मिल ही जाएगा।" मैनेजर ने कहा था।

कंजिया को कुछ उम्मीद बंधी और वह जमा पूंजी का मन-ही-मन हिसाब लगाने लगा। जमुना बाज़ार की झुग्गियों में पिछले जेठ के महीने में आग लग गई थी। रात को सिर छुपाने का आसरा भी जाता रहा। अब कंजिया साड़ी शोरूम के बाहर गलियारे में ही सोता है, लेकिन गलियारे में चार फ़ुट जगह कौन मुफ़्त में मिली है! ठेकेदार को आठ सौ रुपया महीना देना पड़ता है। हर गली का अलग ठेकेदार है, जो रात को गलियारों में सोने वाले मज़दूरों से उगाही करता है।

"मिश्राजी, ज़रा हिसाब बता दोगे, मेरा अभी तक कितना पैसा जमा हुआ है आपके पास।" कंजिया ने पान वाले मिश्राजी से डरते-डरते पूछा।

मिश्राजी की चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन के पास ही कोने में छोटी-सी दुकान है–'बनारसी पान भंडार।'

"कंजिया! कहां पैसे बचे हैं तुम्हारे? पिछले महीने ही तो तुमने चार हज़ार रुपए मेहरारू के इलाज के लिए नहीं भिजवाए थे गांव?"

"जो भी बचत होती है, सब तो तुम्हारी घरवाली को मनीआर्डर कर देता हूं। अब कहां हैं तुम्हारे पैसे?" मिश्राजी ने पान के पत्ते पर चूना लगाते हुए कहा।

"फिर भी कुछ तो बचा ही होगा?" कंजिया ने हिम्मत जुटाकर सवाल किया।

"लो भईया, हमारे तो हवन करते हाथ जलेजा रहे हैं। एक तो तुम्हारा पैसा संभालकर रखो और ऊपर से तुम शक करते हो!"

"नहीं मिश्राजी, ऐसी बात नहीं। दरअस्ल, बिटिया का ब्याह पक्का हो रहा है। उसके लिए एक सुहाग जोड़ा ख़रीदना है।" यह सुनकर मिश्राजी कुछ ग़ौर से कंजिया को देखने लगे।

"कंजिया''...धीरे से फुसफुसाते हुए मिश्राजी ने इशारे से उसे पास बुलाया।

"देखो, हमारे पास धरे-धरे पैसा तो बढ़ने से रहा। तुम कहीं ठीक जगह पैसा लगाओ। अभी तुम्हारा सात हज़ार रुपया बचा है। एक कंपनी खुली है। उसमें जमा कराओगे तो बढ़िया ब्याज मिलेगा और सालभर में पैसा दोगुना।"

"लेकिन मिश्राजी कंपनी वाला पैसा लेकर भाग गया तो?" कंजिया के मन में उम्मीद के साथ ही शंका का फ़न भी खड़ा हो गया।

"अरे, ऐसे ही कंपनी बंद हो जाएगी! चांदनी चौक के आधे से ज़्यादा दिहाड़ी मज़दूरों ने अपना पैसा इसी कंपनी में जमा करा रखा है। अब बैंक-वैंक में तो तुम्हारा खाता खुलने से रहा! न तो तुम्हारे पास राशनकार्ड, न आधार कार्ड, न वोटर आई कार्ड। और वैसे भी बैंक में तो पैसा दोगुना होने में छह-सात साल लग जाते हैं।" मिश्राजी ने कंजिया को समझाते हुए कहा।

"अभी तो अगले कार्तिक में है ब्याह। पूरा सालभर पड़ा है। सात के चौदह हो जाएंगे और कुछ कंपनी से उधार पर ले लेना।"

कंजिया की आंखों के आगे फिर से सुहाग जोड़ा घूमने लगा। उसने जी कड़ा करके कंपनी में पैसा जमा करा दिया।

...

"अपनी लाडो के लिए सुहाग जोड़ा ज़रूर लाऊंगा! बता तुझे कौन से रंग का पसंद है?"

"बाबा, हमें तो ल़ाल रंग वाला चाहिए।" बिन्नी ने शरमाते हुए फ़ोन पर कहा।

कार्तिक बीत रहा था। दीवाली जा चुकी थी। छठ आने वाली है। गांव में कैसी धूम मची होगी! कंजिया शोरूम के बाहर गलियारे में लेटा हुआ था। नीचे प्लास्टिक के ख़ाली बोरे बिछा रखे थे। उन पर लेटा कंजिया फटे कंबल को कभी इधर तो कभी उधर लपेट रहा था।

"इतने बरस हो गए दिल्ली आए, लेकिन ऐसा जाड़ा पहले कभी नहीं देखा। सीतामढ़ी में भी जाड़ा पड़ता है, लेकिन फूस की झोपड़ी में थोड़ी गर्माहट रहती है। पुआल बिछाने पर तो और ठंड कम लगती है, लेकिन यहां सीमेंट की दीवारें बर्फ़ की सिल्ली-सी जान पड़ती

है।" कंजिया ने बगल में लेटे रामभजन से बात करनी चाही, लेकिन रिक्शावाला रामभजन पहले ही पेट में गोड़-गड़ाए सो रहा था।

"भागो, बचाओ...अरे कोई फ़ायर ब्रिगेड को फ़ोन करो...अरे बचो, बिजली के तारों में करंट आ गया है... अरे आग पर पानी डालो...।"

चारों ओर अंगारे बरस रहे थे, आग से शो-रूमों के कांच तड़क-तड़क कर टूट रहे थे। कंजिया नीम बेहोशी में था, शरीर जैसे भट्टी पर रखा हुआ था, आंखें अधखुली थीं।

'दौलत की चाट', रामरतन, किसन, बिन्नी, ब्याह ...यही सब उसके अवचेतन में दौड़ रहा था।

आग में शोरूम के शीशे चटक गए थे। कुछ किरचें कंजिया के शरीर में भी जा घुसी थीं, आग में हाथ, पैर, कमर और सिर के बाल भी झुलस गए।

"किरचों के घाव भरने में कम-से-कम महीनाभर लगेगा, जले हुए के घाव भी भरने में कुछ वक़्त लगेगा।" सरकारी अस्पताल का डॉक्टर राउंड पर आए अपने सीनियर डॉक्टर को बता रहा था। "ठीक है, थोड़ी-सी हालत ठीक हो जाए तो डिस्चार्ज कर दो, बेड की बहुत डिमांड है।"

...

कंजिया डिस्चार्ज होकर जाता भी तो कहां जाता? वहीं कुछ दिन अस्पताल के ही गलियारे में पड़ा रहा। थोड़ा चलने-फिरने लायक़ हुआ तो दिहाड़ी पर लौट आया। शोरूम में मरम्मत का काम चल रहा था और कारोबार भी। वह भी और दिनों की तरह काम में जुट गया। ज़ख़्म भरने का इंतिज़ार करे, इतना वक़्त कहां था उसके पास! किसको चिंता थी कि कोई उससे उसका हाल-चाल पूछता! महीने भर में वह कोई मुश्किल से बीस दिन ही काम पर आया होगा। इसलिए दिहाड़ी भी उसी हिसाब से मिली थी। कुल मिलाकर यही कोई 800 रुपया हुआ होगा। वह 'बनारसी पान भंडार' की ओर बढ़ चला।

"अरे कंजिया, कैसे हो? हम तो समझे थे कि भैया तुम भी निकल लिये! चलो शुक्र है रामजी का।"

"पान लगाएं?" मिश्राजी कंजिया को अनदेखा-सा करने लगे।

"नहीं मिश्राजी, ये कुछ पैसे जमा कराने थे कंपनी में।" कंजिया ने खींसे में उमेठकर रखे सौ-सौ के नोट निकाले, लेकिन मिश्राजी की बात सुनकर तो उसे चक्कर आ गया।

"देखो कंजिया, तुम्हारा शक सही था। कंपनी वाला तो पैसा लेकर भाग गया।"

"तुम्हें तुम्हारे गांव वाले रामरतन ने बताया नहीं? उसके भी चार हज़ार रुपए डूब गए।"

"और हम दूसरे का दुःख क्या कहें, हमने ख़ुद 12 हज़ार रुपया जमा कराया था।" मिश्राजी की सूरत रोने वाली हो रही थी।

"लेकिन अब कोई मरा थोड़े ही जाता है। सुना है, पुलिस का कंपनी पर छापा भी पड़ा। कंपनी वाले को पहले ही ख़बर हो गई थी, वह सब रुपया-पैसा लेकर चंपत हो गया।"

कंजिया की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सिर पकड़कर पटरी पर बैठ गया।

'सुहाग जोड़े का क्या होगा? बिन्नी की शादी कैसे होगी?'

कंजिया की आंखों के आगे लाल रंग का सुहाग जोड़ा तैरने लगा, लहंगे पर लगे सलमा सितारे, रेशम के बूटे... लाल रंग...पीला रंग...गाजरी रंग... हरा रंग...सारे रंग जैसे गड्ड-मड्ड होकर उसकी आंखों में फैल गए।

"कंजिया! अरे सुनो, देखो भाई... बात समझने की कोशिश करो...।"

मिश्राजी पीछे से आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन कंजिया मुर्दे की तरह पांव घसीटते हुए 'शिव साड़ी हाउस' की तरफ़ चल पड़ा।

"ये नहीं, वो पिंक और मोव कलर वाला ज़रा दिखाइए", एक अल्ट्रा मॉड महिला अपनी बेटी को लहंगे पसंद करवा रही थी।

"मैडम, इससे बेशक़ीमती और ख़ूबसूरत लहंगा आपको पूरे चांदनी चौक में नहीं मिलेगा।" लालाजी ने यह कहते हुए लहंगे की ख़ूबसूरत किमखाब की ओढ़नी महिला के सामने फैला दी।

"कपड़ा ख़ास ईरान से मंगवाया गया है, उस पर यूरोपीय स्टाइल की कसीदाकारी है।"

"आह! ज़रा छूकर इसकी मुलायमियत तो देखिए! अनुष्का ने जो लहंगा अपनी शादी में पहना था न, अरे आपने ज़रूर देखा होगा, वह एकदम इसी कपड़े का बना था। बिटिया के ऊपर तो यह और भी ख़ूब जंचेगा।" लालाजी के चेहरे पर चौड़ी मुसकान थी।

"कंजिया, ज़रा ये गट्ठर दरियागंज में हुसैनी साहब के यहां दे आओ।" लालाजी ने कंजिया को देखते ही कहा।

कंजिया अपने मुर्दा पैरों को घसीटते हुए आगे बढ़ा। उसने गट्ठर नहीं उठाया। सीधा शोकेस में सजे बुतों की ओर बढ़ गया। शोकेस में हर रोज़ की तरह लहंगे-चोली और ओढ़नी में बुत दुल्हन से सजे खड़े थे। कंजिया एक बुत के पास जा खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ फैलाए और एक बुत को कसकर कंधों से पकड़ लिया। बुत को सीने से लगाकर ज़ोर से भींच लिया और...शोरूम उसके रूदन से थर्रा उठा। ■■

धर्म की समझ-ईश्वर का सर्वोत्तम पुरस्कार



आख़िरी पन्ना



गुलज़ार सहराई

यह तो मतभेद का विषय हो सकता है कि कौन-सा धर्म सबसे सत्य धर्म है, परंतु इस बात से मतभेद नहीं किया जा सकता कि धर्म ही वह विचारधारा है जो मनुष्य को नैतिक सीमाओं में रहना सिखाती है। धर्म को जीवन से निकाल दिया जाए तो निरी नैतिकता का कोई अर्थ नहीं रह जाता।

नास्तिक लोग कोरी नैतिकता के उपदेश देते तो अवश्य हैं, लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता कि यदि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है अथवा पाप और पुण्य के रूप में कर्मों का कोई अच्छा या बुरा फल नहीं भोगना है तो फिर ये नैतिक सीमाएं किस लिए? जब मरने के पश्चात मिट्टी ही हो जाना है तो फिर क्यों न जितना अधिक हो सके लूट-खसोट मचाई जाए? वैध-अवैध की परवाह किए बिना, रिश्तों की मर्यादा की परवाह किए बिना बस अधिक से अधिक सुख भोगने का प्रयास क्यों न किया जाए?

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धर्म के बिना नैतिकता का कोई आधार नहीं है, और मनुष्य के लिए नैतिकता बहुत आवश्यक है, वरना मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अतः नैतिकता के लिए धार्मिक आधार आवश्यक है। यह धर्म ही तो है जो मनुष्य को अंधेरे में भी पाप करने से रोकता है!

यह धर्म ही है कि गुनाह हो जाने के बाद मनुष्य के अंदर आत्मग्लानि की भावना पैदा करता है और अंततः उसे प्रायश्चित करने पर बाध्य कर देता है। मानव इतिहास में ज़मीर और विवेक आदि शब्द धर्म की ही देन हैं। हां, यह मानव के विवेक और शोध पर निर्भर करता है कि वह किस धर्म को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अधिक अनुकूल पाता है? इसके लिए ज़रूरी है कि सही धर्म की सही समझ विकसित की जाए।

अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि०) का कथन है कि ईश्वर के पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया, "जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है, तो उसे दीन (धर्म) की समझ अता कर देता है।" (सुनन तिरमिज़ी, हदीस-2645)

ऊपर बयान की गई हदीस से मालूम होता है कि दीन की समझ अपने आपमें ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन एक आम आदमी के सामने सवाल यह पैदा होता है कि वह आख़िर दीन की समझ कैसे हासिल करे। आम तौर पर तो यही तसव्वुर फैला दिया गया है कि दीन सीखने के लिए किसी

न किसी मदरसे में तालीम हासिल करना ज़रूरी है, जिसमें अरबी सर्फ़-ओ-नह्व (अरबी ग्रामर), फ़लसफ़ा (दर्शनशास्त्र), मंतिक़ (तर्कशास्त्र) और पता नहीं क्या-क्या पढ़ने की ज़रूरत होती है, जिसमें कई साल लग जाते हैं। यह हर शख़्स के लिए तो मुम्किन नहीं है, और जो लोग इसी में लग जाएंगे वो दूसरे उलूम कैसे सीखेंगे और कमाएंगे-खाएंगे कहां से?

इसके लिए चंद मौलवियों ने यह 'हल' सुझाया कि दीन की समझ हासिल करना न हर एक के बस की बात है, न हर एक के लिए ज़रूरी (यानी हदीस में जिस दीन की समझ को 'ख़ैर' बताया गया है, वह 'ख़ैर' सिर्फ़ चंद लोगों के लिए है), बल्कि आम लोग दीन के मामले में उन लोगों पर पूरा एतिबार करें जो इन मदरसों से फ़ारिग़ हों। बाक़ी लोग दुनयावी उलूम हासिल करने और कमाने-खाने पर ध्यान दें।



दीनी और दुनयावी ज्ञान के इस अस्वाभाविक बंटवारे ने मुस्लिम समाज में भी 'पुरोहितवाद' को जन्म दिया और जब भी किसी ने इस पुरोहितवाद को ख़त्म करने के लिए दीन को आसान अंदाज़ में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, इस पुरोहित तबक़े ने उसकी खुलकर मुख़ालफ़त की। इस काम के लिए यूं तो कई शख़्सियतें मैदान में आईं, लेकिन मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी (रह०) ने जिस तरह आसान ज़बान और आसान ढंग से इस्लामी शिक्षाओं से लोगों को वाक़िफ़ कराया वह अपनी मिसाल आप है। उनकी तफ़सीर 'तफ़हीमुल-क़ुरआन' को आम उर्दू और हिन्दी जानने वाले तबक़े को दीन की समझ हासिल करने के लिए सबसे बेहतर तफ़सीर (व्याख्या) कहा जाए तो ग़लत न होगा।

जिन लोगों ने गिरोही, मसलकी, फ़िरक़ावारी तास्सुब (सांप्रदायिक सोच) से पाक होकर क़ुरआन के पैग़ाम को समझने के लिए 'तफ़हीमुल-क़ुरआन' का अध्ययन किया, वही बता सकते हैं कि यह तफ़सीर किस तरह उन्हें इस्लाम और क़ुरआन से वाक़िफ़ कराती है, और यह कि क्यों फ़िरक़ापरस्त मौलवी तबक़ा इसकी मुख़ालफ़त पर अड़ा रहता है।

इसलिए अगर आप ऊपर बयान की गई हदीस के मुताबिक़ दीन की समझ हासिल करके उस 'ख़ैर' के हक़दार बनना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीक़ा है कि आप 'तफ़हीमुल क़ुरआन' का अध्ययन करें। ईश्वर कि कृपा रही तो आपको दीन (धर्म) आसानी से समझ में आ जाएगा। बग़ैर तहक़ीक़ किसी शख़्स या किसी की तहरीर को गुमराहकुन कहना और मान लेना जाहिलों का तरीक़ा होता है, अक़्लमंदों का नहीं। इसलिए पहले पढ़ें फिर फ़ैसला करें।

कुछ मौलवियों की तरफ़ से यह जो प्रोपेगंडा किया जाता है कि "ख़बरदार! डायरेक्ट क़ुरआन का तर्जमा (अनुवाद) और तफ़सीर न पढ़ना, वर्ना गुमराह हो जाओगे।" तो यह भी एक फ़रेब है। इसलिए कि कोई पैदाइशी हिदायत पाया हुआ नहीं होता। अल्लाह की तरफ़ से उतारी हुई वह्य (प्रकाशना) के इल्म से ही उसे हिदायत मिल सकती है, लिहाज़ा क़ुरआन को समझना सबके लिए ज़रूरी है, चाहे अरबी ज़बान सीखकर यह समझ हासिल की जाए या तर्जमा और तफ़सीर के ज़रिए। इसके बग़ैर हिदायत का तसव्वुर महज़ एक वहम और धोखा है। ■■

“

तुममें जो बड़ाई वाले और
सामर्थ्यवान हैं, वे नातेदारों, मुहताजों
और अल्लाह की राह में घरबार
छोड़ने वालों को देने से बाज़ रहने
की क़सम न खा बैठें। उन्हें चाहिए
कि क्षमा कर दें और उनसे दरगुज़र
करें। क्या तुम यह नहीं चाहते कि
अल्लाह तुम्हें क्षमा करे? अल्लाह
बहुत क्षमाशील, अत्यंत
दयावान है।

” (कुरआन, 24:22)

with best compliment from

J.I.H. Kohanda
Azamgarh [UP]

KANTI Monthly, New Delhi
SEPTEMBER 2024
Posted on 20-21 August 2024
Published on 18 August 2024
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2024-2026
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2024-26
Total Pages with Cover: 52

"अल्लाह ही रात और दिन का उलट-फेर करता है। निश्चय ही आंखें रखने वालों के लिए इसमें एक शिक्षा है।"

(क़ुरआन, 24:44)

A Well Wisher

Jaleel Asghar Sb.

Abul Fazl Enclave, New Delhi-25